न्यायालय : मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी होशंगाबाद (म0प्र0)
समक्ष–राजेश कुमार अग्रवाल(सी0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 178/2018
फाईलिंग नम्बर आर.सी.टी.902/2018
सी.एन.आर.नं.एम.पी.0505–001097–18
संस्थित दिनांकः– 10.06.2017

मध्य प्रदेश राज्य
द्वारा प्रभारी अधिकारी
क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स,
होशंगाबाद म.प्र. ––––––––**अभियोजन।**

//विरूद्ध//

1. सुभाष आ0 सुरतलाल भोसमकर, जाति कोरकू, उम्र–35 वर्ष,
2. सुखचंद उर्फ गुड्डू आ0 नजरू भोसमकर जाति कोरकू, उम्र–53 वर्ष,
3. दीपचंद उर्फ छोटू आ0 नजरू भोसमकर, जाति कोरकू, उम्र–46 वर्ष,
4. बस्तीराम आ0 शंकर कास्ते, जाति कोरकू, उम्र–36 वर्ष,
5. गुलाब सिंह आ0 फगनू जाति कोरकू, उम्र–51 वर्ष,
   सभी निवासी ग्राम कुम्हारटेक, थाना व तहसील बैतूल,
   जिला बैतूल म0प्र0

––––––**अभियुक्त।**

राज्य द्वारा :– ए.डी.पी.ओ.श्री अखिलेश गंगारे।
आरोपीगण द्वारा :– श्री डी0एस0ठाकुर अधिवक्ता।

हस्तगत प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल श्री हरप्रसाद वंशकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर के नोटिफिकेशन सी/419 जबलपुर दिनांक 19.01.2018 के अनुपालन में अधिसूचित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होशंगाबाद को निराकरण हेतु प्रेषित किया गया है। तब इस न्यायालय को प्रकरण दिनांक 24.03.2018 को प्रथम बार प्रकरण अंतिम तर्क की स्टेज पर प्राप्त हुआ है।

//नि र्ण य//

(आज दिनांक–12/05/2018 को घोषित)

01. अभियुक्तगण पर वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित 2006) की धारा 9 सहपठित धारा 51 का आरोप है, कि दिनांक 04.04.2017–05.04.2017 की दरम्यानी रात में स्थान उत्तर बैतूल वन मंडल (सामान्य) के वन परिक्षेत्र बैतूल की राठीपुर बीट के कक्ष क्र0 पी0एफ0 453 मे वन्य प्राणी नर बाघ जो कि

अनुसूची 1 का वन्य प्राणी है, को भरमार बंदूक से मारकर उसका शिकार किया।

02. प्रकरण में निर्विवादित तथ्य यह है कि वन अपराध पी0ओ0आर0 क0 38/44 दिनांक 10.04.2017 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत पंजीबद्ध अपराध में प्रकरण की गंभीरता एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) एवं मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक म0प्र0 ने कार्यालय से जारी पत्र क0 190/संरक्षण/2017 दिनांक 17.04.4017 से अपराध क0 38/44 दिनांक 10.04.2017 की अग्रिम विवेचना श्री संदेश महेश्वरी सहायक वन संरक्षक प्रभारी क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स होशंगाबाद को विवेचना अधिकारी नियुक्त किया और इस प्रकार प्रकरण की अग्रिम विवेचना की कार्यवाही राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स को स्थानांतरित की।

03. प्रकरण में यह भी निर्विवादित तथ्य है, कि घटना स्थल बूचाआम नाला बीट राठीपुर वन परिक्षेत्र बैतूल के पी0एफ0 कक्ष क0 453 जंगल में वन्य प्राणी बाघ का शिकार हुआ। नर बाघ अनुसूची के भाग–1 का स्तनधारी वन्य प्राणी था, जिसका अंग्रेजी नाम Tiger एवं वैज्ञानिक नाम Panthera Tigris है, जिसे स्थानीय बोलचाल में शेर भी कहा जाता है।

04. परिवाद इस प्रकार है, कि उत्तर वन मंडल बैतूल (सामान्य) की वन परिक्षेत्र बैतूल की राठीपुर बीट के कक्ष क्रं0 पी0एफ0 453 में दिनांक 07.04.2017 को एक बाघ के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई, घायल बाघ को दिनांक 08.04.2017 को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद के रेस्क्यू दल के पशु चिकित्सक द्वारा ट्रंक्युलाईज कर उत्तर बैतूल वनमंडल के चालान क्रमांक 2073 दिनांक 08.04.2017 से वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल अग्रिम उपचार के लिये भेजा गया। दिनांक 09.04.2017 एवं 10.04.2017 को स्थानीय स्टॉफ के द्वारा की गई जांच मे यह तथ्य सामने आया कि बाघ के शिकार का प्रयास हुआ है। शिकार की घटना को देखते हुए घटना क्रम की पतासाजी कर गवाहों के बयानों के आधार पर जांच पड़ताल पश्चात् ग्राम कुम्हारटेक के सुखचंद उर्फ गुड्डू, दीपचंद उर्फ छोटू एवं सुभाष के विरूद्ध वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित 2006) की धारा 9, 39, 44, 50, 51 के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण क्रं0 38/44 दिनांक 10.04.2017 बीटगार्ड राठीपुर द्वारा पंजीबद्ध किया गया।

05. दिनांक 10.04.2017 को मौका में वन्य प्राणी के बाल, खून लगी रायमुनिया की झाड़ी जप्ती की कार्यवाही की गयी। दिनांक 11.04.2017 को क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स होशंगाबाद की टीम भी डॉग स्क्वॉड को लेकर घटना स्थल पर विवेचना में सहयोग हेतु गयी। उक्त दिनांक को घटना स्थल से आधी जली हुई चिंदी, दो पत्थर जिसमें बारूद के निशान थे, कुछ पत्थर एवं लेंटाना की झाड़ियों को जिसमें खून के निशान एवं वन्य प्राणी के बाल लगे थे की जप्ती की गयी। दिनांक 11.04.2017 को वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल से प्राप्त मेडिकल एवं एक्स–रे रिपोर्ट तथा दिनांक 10.04.2017 एवं 11.04.2017 का घटना स्थल का मौका निरीक्षण से यह तथ्य प्रकाश में आया कि संभवतः बाघ के शिकार में भरमार बंदूक का उपयोग किया गया था। दिनांक 13.04.2017 तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साक्षियों के बयान

सहायक वन संरक्षक एवं उपवन मंडलाधिकारी सारणी द्वारा आरोपियों के समक्ष लेखबद्ध किये गये तथा आरोपियों के बयान भी लेखबद्ध किये गये जिसमें आरोपियों ने बाघ का शिकार करना स्वीकार किया। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को न्यायालय बैतूल के समक्ष दिनांक 14.04.2017 को प्रस्तुत किया गया। दिनांक 16.04.2017 को स्थानीय स्टॉफ द्वारा बंदूक में टार्च फिट करने का स्टेंड घटना स्थल से जप्त किया गया जो आरोपियों के द्वारा घटना दिनांक की रात्रि में भागने के दौरान गिर गया था। दिनांक 17.04.2017 को न्यायालय बैतूल के समक्ष गवाह सेदीलाल एवं सुन्दरलाल के बयान द0प्र0स0 की धारा 164 के अंतर्गत लेखबद्ध कराये गये। गवाहों के बयान मे ग्राम कुम्हार टेक के 2 और व्यक्ति गुलाब सिंह व बस्तीराम को भी घटना में संलिप्त होना पाया गया। यह दोनों आरोपी फरार थे।

06. प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रधान मुख्य मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) एवं मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक भोपाल म0प्र0 के द्वारा आदेश क्र0 190 दिनांक 17.04.2017 के द्वारा प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स होशंगाबाद श्री संदेश माहेश्वरी (सहायक वनसंरक्षक) को प्रकरण में विवेचना अधिकारी बनाया। प्रकरण प्राप्त होते ही प्रभारी अधिकारी राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स भोपाल एवं मुखबिर के माध्यम से आरोपियों का पता लगाने का प्रयास किया गया, आरोपियों को प्रस्तुत होने हेतु संमंस जारी किया गया। दिनांक 20.04.2017 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दोनों आरोपी परतवाड़ा में सिविल कोर्ट रोड परतवाड़ा (महाराष्ट्र) के पास कहीं छुपे हैं। सूचना पर शाम 6.30 बजे परतवाड़ा में स्थानीय वन अमला–गूगामल वाईल्ड लाईफ डिवीजन परतवाड़ा के स्टॉफ एवं सहायक वन संरक्षक के सहयोग से घेराबंदी कर आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। परतवाड़ा पुलिस को सूचना देकर गिरफ्तार आरोपियों को बैतूल लाया गया। बैतूल मे दोनों आरोपियों से पूछताछ की गयी। पूछताछ में उनके द्वारा बाघ के शिकार का अपराध करना स्वीकार किया एवं बाघ के शिकार का अपराध भरमार बंदूक से करना बताया। दोनों आरोपियों को बैतूल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ में उन्होने अपराध में उपयोग की गयी बंदूक छिपाकर रखना बताया। दिनांक 22.04.2017 को बस्तीराम के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर उसकी निशादेही पर एक बंदूक (भरमार) जो कि उसने कुम्हारटेक राठीपुर मार्ग के कच्चे रास्ते के पास के नाले में झाडियों में छिपाई थी प्रातः 6.35 ए0एम0 पर जप्ती हुई। दिनांक 22.04.2017 को ही गुलाब सिंह के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर उसकी निशादेही पर एक बंदूक (भरमार) जो कि उसने अपने भाई (गोकुल) के खेत के भट्टे में छिपाई थी, दोपहर 1.40 पी0एम0 को जप्ती की गयी। दिनांक 22.04.2017 को न्यायिक अभिरक्षा में रखे सुखचंद उर्फ गुड्डू को बैतूल न्यायालय से निवेदन कर पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड मे पूछताछ में आरोपी सुखचंद उर्फ गुड्डू ने वन अपराध में जिस बंदूक(भरमार) का उपयोग किया था छिपाकर रखना कबूल किया। दिनांक 23.04.2017 को ही सुखचंद उर्फ गुड्डू के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर उसकी निशादेही पर कुम्हारटेक ग्राम में शंकर(सुखचंद उर्फ गुड्डू पिता नजरू का जीजा) के टप्पर के पास कवेलू के नीचे मिट्टी में दबाकर रखी बंदूक (भरमार) की एक नाली (बेरल) एवं उस बंदूक

का घोड़ा दोपहर 12.30 पी0एम0 पर जप्ती हुई, लेकिन उसका बट नहीं मिला।

07. दिनांक 25.04.2017 की दोपहर को सुखचंद के द्वारा बाघ के शिकार का घटना स्थल कक्ष क्र0 पी0एफ0 453 जटाशंकर नाला बूचाआम में ले जाकर घटना करने का तरीका एवं उस रात्रि का घटना क्रम मौके पर बताया जिसकी मोबाईल से वीडियों रिकार्डिंग की गयी। दिनांक 25.04.2017 को सुखचंद उर्फ गुड्डू के घर परिसर की भी तलाशी की गयी। तलाशी के दौरान उसके आंगन में बने मंडे में रखे पटाखे के 10 खाली खोके एवं कागज की पुड़िया में रखा बारूद 7 ग्राम भी जप्त किया गया। पुलिस/फारेस्ट रिमांड पर लिये तीनों आरोपियों से रिमांड के दौरान अपराध में उपयोग की गयी तीन भरमार बंदूकों की जप्ती उनकी निशादेही पर की गयी। दिनांक 26.04.2017 को विवेचना अधिकारी सहायक वन संरक्षक प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स होशंगाबाद के समक्ष गवाह सेदीलाल, संदरलाल, झनक पटेल, दसरू वल्द उमराम, नरेन्द्र सिंह चौहान उप वन क्षेत्रपाल, मुकेश कुमार द्विवेदी वनरक्षक, अभिषेक उपाध्याय वनरक्षक, प्रदीप यादव वनरक्षक के बयान आरोपी सुखचंद, गुलाबसिंह, बस्तीराम के समक्ष प्रतिपरीक्षण का अवसर देते हुए वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 50(8), 50(9) के अंतर्गत लिपिबद्ध किये गये। साथ ही साथ गवाहों के समक्ष आरोपियों सुखचंद, गुलाबसिंह, बस्तीराम के बयान भी लिपिबद्ध किये गये।

08. अनुसंधान के दौरान गवाह सुंदरलाल ने बताया कि दिनांक 04.04.2017 की देर शाम को गुलाब सिंह एवं बस्तीराम को उसने बंदूक लेकर जंगल की ओर जाते हुए देखा था। एवं दूसरे दिन 05.04.2017 को आरोपी सुभाष जो सुंदरलाल का रिश्तेदार एवं दोस्त भी है ने उसे आकर बताया था कि दीपचंद, सुखचंद एवं उसने रात्रि में जटाशंकर नाला जंगल क्षेत्र मे एक बाघ पर गोली चला दी थी, जिसमें बाघ घ ाायल हो गया। इसी प्रकार गवाह सेदीलाल ने भी बताया कि उसने दिनांक 05.04. 2017 को प्रातः सुखचंद दीपचंद एवं सुभाष को जंगल से आते हुए देखा था। सुखचंद के पास उसने एक भरमार बंदूक भी देखी थी। सेदीलाल ने बताया था कि बस्तीराम एवं गुलाब सिंह बोडी ग्राम के झनक पटेल एवं बघवाड़ के दसरू के माध्यम से बारूद क्रय करते थे। झनक पटेल एवं दसरू ने भी अपने बयान में बताया कि गुलाब सिंह एवं बस्तीराम के द्वारा बाजार से बारूद क्रय करते थे। तब इन साक्षियों के कथनों में आये तथ्यों के आधार पर आरोपीगण से पूछताछ की गयी आरोपीगण ने जो सूचना एवं जानकारी दी उसके आधार पर आरोपीगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त सामग्री एवं हथियार की जप्ती बरामदगी की गयी आरोपीगण ने साक्षियों के समक्ष स्वीकारोक्ति (कबूलियत बयान) दिये जिस पर से घटना क्रम इस प्रकार हैः—

09. घटना दिनांक 04.04.2017 दिन मंगलवार (हाट बाजार का दिन) चैत्र नवरात्रि की अष्टमी दिन की देर शाम सुखचंद उर्फ गड्डू वल्द नजरू, दीपचंद उर्फ छोटू वल्द नजरू एवं सुभाष भुसमकर वल्द सूरत लाल भुसमकर(सुखचंद एवं दीपचंद का भतीजा) समस्त जाति कोरकू निवासी कुम्हारटेक थाना तहसील बैतूल ने मिलकर शिकार करने के उद्देश्य से राठीपुर के जंगल कक्ष क्रमांक पी 453 में आने वाले जटाशंकर नाले में जा रहे थे। सुखचंद के पास एक भरमार बंदूक थी। दिनांक 04.04. 2017 को देर शाम को ही रास्ते में उन्हें गुलाब सिंह वल्द फगनू उम्र 51 वर्ष जाति

कोरकू निवासी कुम्हारटेक एवं बस्तीराम वल्द शंकर कासदे जाति कोरकू निवासी कुम्हारटेक भी मिले। वो भी राठी पुर के जंगल में शिकार के लिये जा रहे थे। उन दोनों के पास भी भरमार बंदूक थी। पांचों लोगों की सहमति से वह एक साथ राठीपुर बीट के शासकीय जंगल पी0एफ0 453 जटाशंकर नाले में गये। वहां दो तीन डबरों में पानी भरा हुआ था। पानी के डबरों के पास उक्त ढलान पर वहां पहले से दो पारछे(मचान) बने हुए थे, पत्थर के बने एक पारछे में सुखचंद, दीपचंद एवं सुभाष बैठ गये एवं बांस की झाडियों सें बने दूसरे पारछे में गुलाबसिंह एवं बस्तीराम बैठ गये। दिनांक 04.04.2017 एवं 05.04.2017 की दरम्यानी रात उस उजयाली रात में जैसे ही जंगली जानवर पानी पीने के लिये आया तो पानी पीने की आवाज सुनकर सुखचंद उर्फ गुड्डू ने अपनी बंदूक से फायर कर दिया। गोली लगने से संभवतः बाघ तेजी से दहाड़ा, घबराकर सुखचंद, दीपचंद एवं सुभाष पारछे से निकलकर जंगल की ओर भाग गये। गुलाबचंद एवं बस्तीराम भी पीछे से निकलकर भागे लेकिन उस ढाल में तीव्र ढाल होने के कारण वो फिसल कर नाले में आये। लेकिन बाघ जंगल/पहाड़ की ओर भागा होगा। जिस पर बस्तीराम एवं गुलाबसिंह ने नाले से बाघ की ओर अपनी अपनी बंदूक से फायर किया जिसमें से कोई एक की गोली बाघ को पुनः लगी। जिसके कारण बाघ फिर दहाड़ा तो गुलाबसिंह एवं बस्तीराम भी गांव की दिशा में जंगल की ओर भागे। दिनांक 05.04.2017 को सुबह थोड़ा उजाला होने पर सुखचंद, दीपचंद एवं सुभाष एक पार्टी के रूप में एवं गुलाबसिंह एवं बस्तीराम दोनों एक साथ गांव कुम्हारटेक अपने घर की ओर जा रहे थे। उस समय सेंदीलाल ने सुखचंद, दीपचंद एवं सुभाष को जंगल से गांव की ओर आते देखने पर उनसे पूछताछ की। सुखचंद के पास एक बंदूक भी उसने देखी। लेकिन गुलाबसिंह एवं बस्तीराम जंगल में झाड़ियों में छुपजाने के कारण उसे नहीं दिख पाये। सुभाष ने दिनांक 05.04.2017 को अपने रिश्तेदार सुंदरलाल को पूरी घटना बतायी। सुंदरलाल ने भी दिनांक 04.04.2017 की शाम को बस्तीराम गुलाबसिंह को कंधे पर बंदूक रखकर जंगल जाते हुए देखा था।

10. दिनांक 07.04.2017 को परिक्षेत्र सहायक श्री गंजानंद कुडापे को सुरक्षा श्रमिक से सूचना प्राप्त हुई तब मौके का निरीक्षण कर देर शाम वरिष्ठ अधिकारियों को बाघ के घायल अवस्था में होने की सूचना दी गयी। जिसके उपरांत वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौका निरीक्षण उपरांत सतपुड़ा टाईगर रिजर्व होशंगाबाद के रेस्क्यू दल को बुलाया, दिनांक 08.04.2017 को घायल बाघ को सतपुड़ा टाईगर रिजर्व होशंगाबाद के रेस्क्यू दल के पशुचिकित्सक द्वारा रेस्क्यू कर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल अग्रिम उपचार हेतु भेजा गया। वन विहार भोपाल में उस बाघ का 21.04.2017 की रात तक इलाज चला लेकिन 21.04.2017 एवं 22.04.2017 की दरम्यानी रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी। बाघ का नियमानुसार पोस्ट मार्टम उपरांत जलाकर नष्ट किया गया। मेडिकल, फारेंसिक एवं पी0एम0 रिपोर्ट में भी बाघ को दो गोली लगना पाया गया। यह गोली भरमार बंदूक से चली होना पाया गया। आरोपियों से जप्त तीनों भरमार बंदूकों एवं स्वतंत्र गवाहों झनक पटेल की लायसेंसी बंदूक को एफ0एस0एल0 सागर भेजा गया। एफ0एस0एल0 सागर से प्राप्त बैलेस्टिक एवं बारूद परीक्षण रिपोर्ट में बंदूकों से फायर होना पाया गया। एवं बाघ के शरीर से प्राप्त गोलियां का उपयोग

भी इन बंदूकों से किया जाना संभव बताया है। मौके पर प्राप्त वन्य प्राणी के बाल, पत्थर पर लगे खून, के निशान एवं लेटाना (रायमुनिया) की झाड़ियों में लगे खून एवं बाल का एवं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल से प्रकरण के बाघ से प्राप्त टिश्यू सेम्पल को परीक्षण हेतु सी0सी0एम0बी0 हैदराबाद डी0एन0ए0 परीक्षण हेतु भेजा गया। विवेचना के दौरान जप्त सामग्री का विवरणः–

क्रं0	दिनांक	जप्त सामग्री का नाम	मात्रा	विवरण	जप्ती का स्थान
1	10.04.17	खून लगी रायमुनिया (लेंटाना) 9 की लकड़ी	–	–	पी0एफ0 453 बूचाआम जटाशंकर नाला परिसर राठीपुर
2	10.04.17	वन्य प्राणी के बाल	–	–	पी0एफ0 453 बूचाआम जटाशंकर नाला परिसर राठीपुर
3	10.04.17	बंदूक मे लगने वाला बैटरी स्टेंड	01 नग	ल0 15 से0मी0, चौ0 5.50 से0मी0, उं0 2. 50 सें0मी0	पी0एफ0 453 बूचाआम जटाशंकर नाला
4	11.04.17	चिंदी (कपड़े के टुकड़े)	09 नग	06 हरे नग 3 नग मटमैला सफेद रंग	पी0एफ0 453 बूचाआम जटाशंकर नाला परिसर राठीपुर
5	11.04.17	एक पत्थर जिसमें 7 जगह बारूद लगा हुआ	01	–	पी0एफ0 453 बूचाआम जटाशंकर नाला
6	11.04.17	एक पत्थर खून लगा हुआ	01	–	पी0एफ0 453 बूचाआम जटाशंकर नाला
7	11.04.17	बाघ के शरीर से प्राप्त एक नग धातु की गोली	01	23 ग्राम 310 मि0ग्रा0	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान
8	22.04.17	भरमार बंदूक 1 नग	01	बंदूक की कुल ल0 116 से0मी0	ग्राम कुम्हारटेक

9	22.04.17	भरमार बंदूक 1 नग	01	बंदूक की कुल ल0 122 से0मी0	ग्राम कुम्हारटेक
10	22.04.17	धातु के 4 गोल छर्रे एवं 1 लम्बा छर्रा	04 गोल 1 लम्बा	धातु के छर्रे	ग्राम कुम्हारटेक
11	22.04.17	बाघ के शरीर से प्राप्त 1 नग धातु की गोली एवं टिश्यू सेम्पल	01	17 ग्राम 230 मि0ग्रा0	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान
12	23.04.17	भरमार बंदूक की बैरल एकनाली 1 नग एवं 1 बंदूक का घोड़ा	01 नग बैरल एकनाली 01 बंदक का घोड़ा	बैरल की कुल लंबाई 84 से0मी0	ग्राम कुम्हारटेक
13	25.04.17	पटाखे के 10 खाली खोके एवं बारूद 7 ग्राम	10 नग 7 ग्राम बारूद	कागज के खोके	ग्राम कुम्हारटेक

तथा सूची अनुसार 155 दस्तावेज तथा फोटोग्राफ्स एवं प्रमाण पत्र 8 और गवाहानों की सूची सहित परिवाद पत्र आरोपीगणों के विरूद्ध प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स होशंगाबाद द्वारा विचारण हेतु पेश किया गया।

11. पूर्व पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बैतूल ने परिवाद पर से मामला संस्थित होने पर और वारंट मामला होने से आरोप पूर्व साक्ष्य लेखबद्ध कर अभियुक्तगण पर प्रथम दृष्टया अपराध के पर्याप्त आधार पाते हुए आरोपी गण के विरूद्ध धारा 9 सहपठित धारा 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के आरोप विरचित किये। अभियुक्तगण ने जुर्म अस्वीकार कर प्रतिरक्षा करनी चाहीं। अभियुक्तगण की प्ली अंकित की गयी।

12. परिवादी पक्ष ने साक्ष्य प्रमाण में गजानंद कुड़ापे परिक्षेत्र सहायक परि0सा0 1, संदेश माहेश्वरी प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स होशंगाबाद परि0सा0 2, एन0एस0चौहान उप वन क्षेत्रपाल क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स होशंगाबाद परि0सा0 3, डॉ0 डी0के0सत्पथी परि0सा0 4, दसरू परि0सा0 5, झनक परि0सा0 6, डॉ0 गुरूदत्त शर्मा परि0सा0 7, सुन्दरलाल परि0सा0 8, गनराज परि0सा0 9, सेदीलाल परि0सा0 10, दुर्गेश कुशराम वनरक्षक परि0सा0 11, सुदेश महिवाल उप वनमंडल अधिकारी परि0सा0 12, अभिषेक उपाध्याय वनरक्षक परि0सा0 13 के कथन कराये।

13. परिवादी पक्ष ने निम्न दस्तावेजों को प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराया हैः–

क.	प्रदर्शित दस्तावेज	दिनांक	प्रदर्श
1.	पंचनामा	07.04.2017	प्र.पी.1
2.	नजरी नक्शा	08.04.2017	प्र.पी.2
3.	पंचनामा	08.04.2017	प्र.पी.3
4.	मौका पंचनामा, समय 08.35 बजे	10.04.2017	प्र.पी.4
5.	पंचनामा, समय दोपहर 12.30 बजे	10.04.2017	प्र.पी.5
6.	पंचनामा दोपहर 01.00 बजे	10.04.2017	प्र.पी.6
7.	बयान गवाह सैजीलाल आ. नारसू कोरकू,समय02. 30बजे	10.04.2017	प्र.पी.7
8.	बयान गवाह सुंदरलाल आ. मंगते कोरकू,समय 02. 00 बजे	10.04.2017	प्र.पी.8
9.	पंचनामा, समय दोपहर 01.00 बजे	11.04.2017	प्र.पी.9
10	पंचनामा,	13.04.2017	प्र.पी.10
11.	पंचनामा	13.04.2017	प्र.पी.11
12.	पंचनामा	13.04.2017	प्र.पी.12
13.	तलाशी पूर्व पंचनामा	13.04.2017	प्र.पी.13
14.	तलाशी पश्चात् पंचनामा	13.04.2017	प्र.पी.14
15.	गिरफ्तारी पंचनामा आरोपी छोटू उर्फ दीपचंद	13.04.2017	प्र.पी.15
16.	गिरफ्तारी पंचनामा आरोपी सुभाष	13.04.2017	प्र.पी.16
17.	गिरफ्तारी पंचनामा आरोपी सुखचंद उर्फ गुड्डू	13.04.2017	प्र.पी.17
18.	पंचनामा, समय शाम 04.30 बजे	16.04.2017	प्र.पी.18
19.	जप्तीनामा दिनांक	16.04.2017	प्र.पी.19
20.	मौका पंचनामा,समय दोपहर 01.30 बजे	22.04.2017	प्र.पी.20
21.	मौका पंचनामा,समय दोपहर 06.15 बजे	22.04.2017	प्र.पी.21
22.	पंचनामा, समय दोपहर 01.00 बजे	23.04.2017	प्र.पी.22
23.	घटनास्थल कक्ष क्र.पी.453 का प्रमाणित नक्शा		प्र.पी.23
24.	बयान गवाह वनपाल गजानंद कोड़ापे (परि.सा.क्र.01)	18.05.2017	प्र.पी.24
25.	कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्रणी म.प्र.)	08.02.2017	प्र.पी.25

	के कार्यालय से जारी दिशा निर्देश संबंधी पत्र क्रमांक 112 प्रपत्र 08 पृष्ठों में		
26.	कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी म0प्र0) के कार्यालय से जारी पत्र क्र0 190/संरक्षण/2017 दिनांक 17.04.4017 जिससे अपराध क्र0 38/44 दिनांक 10.04.2017 में अग्रिम विवेचना हेतु श्री संदेश माहेश्वरी सहायक वन संरक्षक प्रभारी क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स होशंगाबाद को विवेचना अधिकारी नियुक्त किया गया		प्र.पी.26
27.	कार्यालय क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स होशंगाबाद को अस्थायी केम्प बैतूल में दिनांक 19.04.2017 को विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना प्रारंभ किये जाने के संबंध में लिखा गया		प्र.पी.27
28	गिरफ्तारी पंचनामा आरोपी बस्तीराम पिता शंकर कोरकू दिनांक 20.04.2017 समय 6.25 बजे ग्राम परतवाड़ा महाराष्ट्र		प्र.पी.28
29.	गिरफ्तारी पंचनामा आरोपी गुलाब पिता फगनू दिनांक 20.04.2017 समय 6.30 बजे ग्राम परतवाड़ा महाराष्ट्र		प्र.पी.29
30.	मौका पंचनामा स्थान ग्राम परतवाड़ा समय, रात 8.45	20.04.2017	प्र.पी.30
31.	ग्राम परतवाड़ा में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद वहां के थानेदार को दी गयी सूचना		प्र.पी.31
32.	बयान आरोपी बस्तीराम पिता शंकर कोरकू समय सुबह 11 बजे स्थान वन परिक्षेत्र कार्यालय बैतूल	21.04.2017	प्र.पी.32
33.	कथन बयान आरोपी बस्तीराम, समय सुबह 5.30 बजे	22.04.2017	प्र.पी.33
34.	जप्ती नामा समय सुबह 6.35 बजे,	22.04.2017	प्र.पी.34
35.	बयान आरोपी गुलाब सिंह पिता फगनू समय सुबह 10.30 बजे स्थान वन परिक्षेत्र कार्यालय बैतूल	21.04.2017	प्र.पी.35
36.	जप्तीनामा, समय दोपहर 1.40 बजे	22.04.2017	प्र.पी.36
37.	बयान आरोपी सुखचंद उर्फ गुड्डू समय सुबह 6.30 बजे स्थान वन परिक्षेत्र कार्यालय बैतूल	23.04.2017	प्र.पी.37

38.	जप्तीनामा समय दोपहर 12.30 बजे प्र0पी0 38,	23.04.2017	प्र.पी.38
39.	पंचनामा जटाशंकर नाला पी0 453 परिसर राठीपुर समय शाम 4.50 बजे	25.04.2017	प्र.पी.39
40.	तलाशी पंचनामा स्थान ग्राम कुम्हारटेक आरोपी सुखचंद के घर का शाम 6.25 बजे	25.04.2017	प्र.पी.40
41.	जप्तीनामा समय शाम 06.20 बजे आरोपी सुखचंद उर्फ गुड्डू के घर कुम्हारटेक का	25.04.2017	प्र.पी.41
42.	बयान गवाह सैजीलाल 2 पृष्ठा में सुबह समय 08. 30 बजे वन विश्राम गृह बैतूल	26.04.2017	प्र.पी.42
43.	बयान गवाह सुंदरलाल समय सुबह 9 बजे वन विश्राम गृह बैतूल प्र0पी0 43 दो पृष्ठों में,	26.04.2017	प्र.पी.43
44.	बयान गवाह झनक पटेल समय सुबह 10 बजे वन विश्राम गृह बैतूल दो पृष्ठों में	26.04.2017	प्र.पी.44
45.	बयान गवाह दसरू गौड समय दोपहर 1 बजे वन विश्राम गृह बैतूल	26.04.2017	प्र.पी.45
46.	बयान आरोपी गुलाब सिंह पिता फगनू समय शाम 5.30 बजे वन विश्राम गृह बैतूल दो पृष्ठों में।	26.04.2017	प्र.पी.46
47.	बयान आरोपी बस्तीराम समयशाम 6 बजे वन विश्राम गृह बैतूल दो पृष्ठों में	26.04.2017	प्र.पी.47
48.	आरोपी सुखचंद उर्फ गुड्डू समय शाम 6.30 बजे वन विश्राम गृह बैतूल प्र0पी0 48 दो पृष्ठों में	26.04.2017	प्र.पी.48
49.	बयान गवाह उप वन क्षेत्रपाल नरेन्द्र सिंह चौहान समय दोपहर 2.00 बजे वन विश्राम गृह बैतूल प्र0पी0 49 तीन पृष्ठों म	26.04.2017	प्र.पी.49
50.	बयान गवाह वन रक्षक मुकश कुमार द्विवेदी समय दोपहर 3.00 बजे वन विश्राम गृह बैतूल प्र0पी0 50 तीन पृष्ठों में,	26.04.2017	प्र.पी.50
51.	बयान गवाह वन रक्षक अभिषेक उपाध्याय समय दोपहर 2.30 बजे वन विश्राम गृह बैतूल तीन पृष्ठों में	26.04.2017	प्र.पी.51
52.	बयान गवाह वन रक्षक प्रदीप यादव समय दोपहर 03.30 बजे वन विश्राम गृह बैतूल दो पृष्ठों में	26.04.2017	प्र.पी.52
53.	बयान गवाह रामसिंह समय शाम 5 बजे	29.05.2017	प्र.पी.53

54.	बयान गवाह वनरक्षक दुर्गेश कुशराम समय दोपहर 2.00 बजे वन विश्राम गृह बैतू दो पृष्ठों में	18.05.2017	प्र.पी.54
55.	फोटो शिनाख्ती पंचनामा समय 09.30 बजे आरोपी बस्तीराम एवं गुलाब सिंह	26.04.2017	प्र.पी.55
56 एवं 57	विवेचना अधिकारी द्वारा संयुक्त निर्देशक राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला को परीक्षण हेतु भेजी गयी सामग्री जप्त बंदूक, छर्रे एवं बारूद पाउडर के संबंध में लिखित तहरीर एवं उसके साथ संलग्न जप्त सामग्री की सूची जिसमें कुल 10 आर्टिकल परीक्षण के लिये भेजे गये	04.05.2017	प्र.पी.56 एवं प्र.पी.57
58.	निर्देशक राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त पावती रसीद	05.05.2017	प्र.पी.58
59.	राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला सागर की रिपोर्ट के नंबर 014726 बैलेस्टिक्स शाखा के पत्र क्र0 बी0ए0/189/2017 दिनांक 17.05.2017 से जारी परीक्षण प्रतिवेदन जो दो पेजों में है	17.05.2017	प्र.पी.59
60.	गवाह सेदीलाल का धारा 164 द0प्र0स0 का कथन	———	प्र.पी.60
61.	गवाह सुंदरलाल का धारा 164 द0प्र0स0 का कथन	———	प्र.पी.61
62.	मृत टाईगर की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट पॉच पृष्ठों में	———	प्र.पी.62
63, 64 एवं 65	संचालक वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल के द्व ारा घायल टाईगर की इलाज के दौरान शरीर से प्राप्त दो गोली एस0टी0एफ0 को जांच के लिये सौपने हेतु सुपुर्दगी पत्र क्रं0 791 दिनांक 03.05. 2017 प्र0पी0 63 एवं सुपुर्दनामा प्र0पी0 64, एवं जप्त गोलियों का विवरण पत्रक प्र0पी0 65,	03.05.2017	**प्र.पी. 63 64 एवं 65**
66	संचालक वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल के द्वारा मृत बाघ के टिश्यु एस0टी0एफ0 को जांच के लिये सौपने हेतु पत्र क्रं0 801 दिनांक 08.05.2017	08.05.2017	प्र.पी.66
67	कार्यालय वन मंडलाधिकारी उत्तर बैतूल संजीव झा द्वारा मुख्य वन संरक्षक बैतूल को दिनांक 19.04. 2017 को बैतूल परिक्षेत्र के कक्ष क्रं0 पी0 453 में घ ायल बाघ टाईगर को रेस्क्यू कर वन विभाग स्थानंतरित करने बावत लिखा गया पत्र एवं दिनांक 19.04.2017 को अग्रिम विवेचना के लिये डायरी		प्र.पी.67

	संदेश माहेश्वरी टाईगर स्ट्राइक फोर्स को सौंपे जाने का पत्र प्र0पी0 67 चार पृष्ठों में।		
68 ए	क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स द्वारा निर्देशक केन्द्रीय सेलुलर एवं मोलेकुलर बायोलाजी हैदराबाद को खून के धब्बे, बाल, पत्थर एवं लेंटीना लकड़ी पर लगे बाल एवं खून के धब्बों की जांच के लिये जारी किया गया मेमो दिनांक 15.05.2017		प्र.पी.**68–ए**
68 बी 68 सी 68 डी 69	वन रक्षक अभिषेक उपाध्याय को सेम्पल लेकर भेजे जाने के लिये अधिकृत किये जाने का पत्र प्र0पी0 68बी, एवं सीलबंद सेम्पल चार नग जमा करने हेतु सौंपे जाने का पत्र प्र0पी0 68 सी0 एवं चार नग आईटम भेजे जाने संबंधी पत्र प्र0पी0 68 डी, सी सी एम बी कोशकीय एवं आण्विक जीव विज्ञान केन्द्र हैदराबाद तेलंगाना से प्राप्त 01.08.2017 को जारी रिपोर्ट प्र0पी0 69,		**प्र.पी. 68 बी 68 सी 68 डी 69**
70	अधिसूचना राजपत्र दिनांक 04 फरवरी 1966 दो पृष्ठों में		प्र.पी.70
71.	संरक्षित वन खंडों के कक्ष क्रमांक एवं क्षेत्रफल की सूची दो पृष्ठों में,		प्र.पी.71
72	आरोपी बस्तीराम की शिनाख्तगी फोटो		प्र.पी.72
73	आरोपी गुलाब की शिनाख्तगी फोटो		प्र.पी.73
74.	आरोपी सुखचन्द्र उर्फ गुड्डू की शिनाख्तगी फोटो		प्र.पी.74
75.	फोटोग्राफ्स घायल बाघ के		प्र.पी. 75 ए–बी–सी–डी–ई–एफ–जी–एच,
76.	पंचनामा राठीपुर कक्ष क्र0 पी0एफ0 453 का समय दोपहर 2 बजे	19.04.2017	प्र.पी.76
77.	नजरी नक्शा स्थान परतवाड़ा(महाराष्ट्र)		प्र.पी.76
78	नजरी नक्शा स्थान गोकुल का खेत बंदूक जप्ती स्थल		प्र.पी.78
79	नजरी नक्शा स्थान बोडीमार्ग देवकी बाई का खेत से बंदूक जप्ती स्थल	22.04.2017	प्र.पी.79

80	नजरी नक्शा स्थान शंकर का खेत बंदूक जप्ती		**प्र.पी.80**
80 ए	पंचनामा समय दोपहर 12.30 बजे क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स कार्यालय होशंगाबाद	04.05.2017	**प्र.पी.80ए**
81	पंचनामा स्थान कुम्हारटेक सुखचंद का घर	27.05.2017	प्र.पी.81
82	गूगल सर्ज द्वारा बीट राठीपुर के कक्ष क्रंमांक 453 के घटना स्थल प्र0पी0 82,		प्र.पी.82
83	वैज्ञानिक डी0के0सत्यपति डॉ0 गुरूदत्त शर्मा, डॉ अमोल नरवाडे द्वारा डायरेक्टर वन विहार नेशनल पार्क भोपाल को पांच फोटोग्राफ्स सहित घायल बाघ की दी गयी मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट तीन पृष्ठों में	18.04.2017	प्र.पी.83
84.	डॉ0एस0के0तुमारिया, डॉ0जी0डी0शर्मा, डॉ0 अमोल नरवाडे द्वारा दी गयी मेडिकल रिपोर्ट	11.04.2017	प्र.पी.84
85.	मौका पंचनामा पोस्ट मार्टम हाउस वन विहार भोपाल	22.04.2017	प्र.पी.85
86.	फोटो शिनाख्तगी पंचनामा आरोपी दीपचंद उर्फ छोटू, सुभाष, सुखचंद	13.04.2017	प्र.पी.86
86 ए	मौका पंचनामा स्थान पोस्टमार्टम हाउस वन विहार भोपाल शव परीक्षण उपरांत वन विहार परिसर में मृत बाघ के समस्त अवयवों सहित नाखून दांत मूंछ आदि को जलाकर नष्ट करने का		**प्र.पी. 86ए**
87	वन परिक्षेत्र कार्यालय बैतूल में साक्षी सुंदरलाल का लिया गया कथन दो पृष्ठों में	13.04.2017	प्र.पी.87
88.	आरोपी सुभाष परिक्षेत्र कार्यालय बैतूल द्वारा लिया गया बयान	13.04.2017	प्र.पी.88
89.	आरोपी सुखचंद उर्फ गुड्डू का दिनांक 13.04.2017 को वन परिक्षेत्र कार्यालय बैतूल में लिया गया बयान	13.04.2017	प्र.पी.89
90.	आरोपी दीपचंद उर्फ छोटू का दिनांक 13.04.2017 को वन परिक्षेत्र कार्यालय बैतूल में लिया गया बयान	13.04.2017	प्र.पी.90
91.	साक्षी सुंदरलाल पिता ममते द्वारा दिनांक 10.04. 2017 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बैतूल को सरकारी गवाह बनने के लिये दिया गया आवेदन।	10.04.2017	प्र.पी.91

92.	जप्ती नामा घटना स्थल जटाशंकर नाला वन कक्ष क0 453 दिनांक 10.04.2017 को खून लगी रायमुनिया की झाड़ी में दाग एवं वन्य प्राणी के बाल	10.04.2017	प्र.पी.92
93.	जप्तीनामा दिनांक 11.04.2017 घटना स्थल जटाशंकर नाला कक्ष क्रं0 453 से जप्त सामग्री।	11.04.17	प्र.पी.93
94.	गवाह सेंदीलाल का बयान दिनांक 13.04.2017 स्थान परिक्षेत्र कार्यालय बैतूल दो पृष्ठों में।	13.04.2017	प्र.पी.94
95.	गवाह सेंदीलाल द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बैतूल को सरकारी गवाह बनने के लिये दिया गया प्रार्थना पत्र।	10.04.2017	प्र.पी.95
96.	वन अपराध पी0ओ0आर0 क0 38/44	10.04.2017	प्र.पी.96
97.	घटना स्थल पर बाघ को रेस्क्यू किये जाने के पूर्व सबूत जुटाने के लिये डिजिटल कैमरे से लिये गये फोटोग्राफ्स		प्र.पी.97
98	नजरी नक्शा मौका संरक्षित कक्ष क0 453 जटाशंकर नाला (बुचाआम)		प्र.पी.98
99 से 104	विवेचना के दौरान शासकीय कैमरे एवं स्वयं के मोबाईल से लिये गये फोटोग्राफ्स एवं वीडियोग्राफी से संबंधित फोटोग्राफ्स		**प्र.पी. 99 लगायत प्र.पी. 104**
105.	डिजिटल फोटोग्राफ्स से संबंधित प्रमाण प्र0पी0 धारा 65 बी साक्ष्य विधान		प्र.पी.105
106 एवं 107	वीडियो रिकार्डिंग से संबंधित सी0डी0 एवं पेन ड्राईव आर्टिकल जी एवं आर्टिकल एफ से संबंधित 65 बी का प्रमाण पत्र		**प्र.पी.106 एवं प्र.पी.107**

इस प्रकार कुल 107 दस्तावेजों को साक्ष्य में प्रदर्शित कराया गया है।

14. परिवादी की ओर से साक्ष्य में जो आर्टिकल प्रस्तुत हुये हैं, वह इस प्रकार हैं:—

क.	**आर्टिकल का नाम**	**आर्टिकल कमांक**
1.	जप्तशुदा भरमार बंदूकें तीन नग	**ए, बी, सी**,
2	जप्त शुदा बैटरी स्टेंड आर्टिकल	**डी**

3	जप्त शुदा कपड़े की चिंदी जिसमें बारूद लगा है	**ई**
4	मौके पर की गई वीडियोग्राफी की पैन ड्राईव एवं सी0डी आर्टिकल	**एफ** एवं **जी**
5	आरोपी सुखचंद के घर से प्राप्त 07 ग्राम बारूद पन्नी में तथा फटाखे के खोके आर्टिकल	**एच**
6	पी0एम0 के दौरान बाघ के शरीर से निकले हुए छर्रे को आर्टिकल	**आई**
7	आरोपी गुलाब चंद से जप्त छर्रे कुल 5 नग आर्टिकल	**जे1** लगायत **जे5**
8	पी0एम0 के दौरान बाघ के शरीर से प्राप्त दूसरा छर्रा आर्टिकल	**के**
9	जप्त शुदा बड़े दो पत्थर सफेद रंग के कपड़े में लपटे हुए जिन पर बारूद के चिन्ह है आर्टिकल	**एल**

15. अभियुक्तगण का न्यायालयीन परीक्षण द0प्र0स0 की धारा 313 के अंतर्गत किये जाने पर अभियुक्तगण ने निर्दोष होना बताया और झूंठा फंसाया जाना व्यक्त किया, बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया। अभियुक्तगण का कहना है, कि वन विभाग के कर्मचारियों को असली शिकारी नहीं मिल पाये, इस कारण उन्होने उनके विरूद्ध असत्य प्रकरण बनाया है। गांव वालों के साथ मारपीट कर उन्हे जबरन गवाह बनाया है, और बयानों पर एवं पंचनामों पर जप्ती कागजों पर जबरन हस्ताक्षर कराये है। उन्होने कोई बयान वन अधिकारियों को नहीं दिये, उनसे कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की गयी।

16. अंतिम तर्क श्रवण किये गये। अभिलेख पर आई साक्ष्य का सूक्ष्मता से मूल्यांकन किया गया।

17. <u>प्रकरण के निराकरण के लिये महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु निम्न हैं–</u>

क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 04.04.2017–05.04.2017 की दरम्यानी रात में स्थान उत्तर बैतूल वन मंडल (सामान्य) के वन परिक्षेत्र बैतूल की राठीपुर बीट के कक्ष क्र0 पी0एफ0 453 मे वन्य प्राणी नर बाघ जो कि अनुसूची 1 का वन्य प्राणी है, को भरमार बंदूक से मारकर उसका शिकार किया?

<u>साक्ष्य विवेचना निष्कर्ष के आधार</u>

18. परिक्षेत्र सहायक गजानंद कोड़ापे (परि0सा0 क्र0 1) ने अपने कथन में बताया है, कि वह दिनांक 07.04.2017 को बीट राठीपुर में पदस्थ था। वनरक्षक अभिषेक उपाध्याय और डिप्टी रेंजर श्री चौहान भी उसके साथ पदस्थ थे। इस साक्षी का कहना है कि दिनांक 07.04.2017 को उसे सुरक्षा श्रमिक केदार पंवार ने फोन पर सूचना दी थी, कि उसे दिनांक 06.04.2017 को कुछ ग्रामीण लोगों ने आकर बताया था कि जटाशंकर नाले में पानी के अंदर बाघ बैठा हुआ है। तब यह साक्षी सूचना मिलने

पर तत्काल मौके पर पहुंचा था। दूर से पहाडियों पर से उसने देखा तो बाघ पानी के अंदर बैठा था। इस साक्षी के कथन में यह तथ्य भी आया है कि जब वह पुनः 5 बजे जटाशंकर नाले पर गया और देखा तो बाघ उसी स्थान पर बैठा हुआ था और हल्की हल्की आवाज में दहाड़ रहा था, तब उसे ऐसा लगा कि बाघ को चोट लगी है। इससे साफ जाहिर है कि इस साक्षी को जब सूचना मिली तब इस बात की जानकारी नहीं हुई कि बाघ जो पानी में नाले में बैठा है वह चोटग्रस्त है या स्वस्थ है, तब स्वाभाविक रूप से यह साक्षी बाघ को उस स्थान पर देखने के लिये दो बार घटना स्थल पर गया। इस साक्षी का कहना है कि उसने वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल सूचना दी। सूचना दिये जाने पर वन मंडलाधिकरी संजीव झा परिक्षेत्र अधिकारी श्री उइके एवं अन्य कर्मचारी मौके पर आ गये थे। उनको साथ लेकर मौका स्थल पर गया, तो देखा कि बाघ के शरीर से खून निकल रहा था। साक्षी का कहना है कि उसने इस संबंध में पंचनामा प्र0पी0 1 तैयार किया था। जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

19. प्र0पी0 1 के पंचनामे के अवलोकन से दर्शित है कि यह पंचनामा स्थान वन कक्ष क0 पी0 453 जटाशंकर नाला का दिनांक 07.04.2017 को रात 7.55 बजे पंचो के समक्ष तैयार किया गया है। इस पंचनामे में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि वन मंडलाधिकारी उत्तर बैतूल सामान्य एवं वन परिक्षेत्राधिकारी बैतूल सामान्य तथा अन्य कर्मचारियों को साथ रखकर परिक्षेत्र सहायक बीट राठीपुर ने मौका मुआयना किया और बूचाआम नामक स्थान पर पहुंचकर देखा तो पाया कि पानी के अंदर जिंदा बाघ बैठा हुआ है, तथा धीमी आवाज से दहाड़ रहा है, चोट ग्रस्त होने की शंका भी हुई तब वन मंडलाधिकारी उत्तर बैतूल ने स्थानीय कर्मचारियों को निर्देश दिये कि रात्रि में उक्त क्षेत्र मे गश्ती करे और देखें की बाघ का मूवमेंट किघर हो रहा है, निगरानी रखे। प्र0पी0 1 के पंचनामे की पुष्टि साक्षी गनराज (परि0सा0 क0 9) ने के कथन से होती है।

20. साक्षी परिक्षेत्र सहायक गजानंद कोड़ापे (परि0सा0 क0 1) ने अपने कथन में बताया है, कि मौके पर जब बाघ को देखा तो उसके शरीर से खून निकल रहा था, उसके बाद वन मंडलाधिकारी ने टाईगर स्ट्राईक फोर्स होशंगाबाद को फोन पर सूचना दी थी, तब दूसरे दिन टाईगर स्ट्राईक फोर्स होशंगाबाद पशु चिकित्सक के साथ मौके पर आये। साक्षी कहता है कि नजरी नक्शा प्र0पी0 2 उसने तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्र0पी0 2 के नक्शे मौके से यह दर्शित है कि दिनांक 08.04.2017 को सुबह 7 बजे के लगभग मौके पर पहुंचकर जिस स्थान पर बाघ नाले में पानी में बैठा था, उसका नजरी नक्शा तैयार किया गया। नजरी नक्शे में ए बी सी डी ई एफ स्थान दर्शाया गया है। ई और एफ स्थान नाले के दोनों ओर किनारे के पास पत्थर का पारछा और झाड़ी का पारछे के रूप में चिन्हित किये गये है। तब प्र0पी0 1 का पंचनामा एवं प्र0पी0 2 का नजरी नक्शा से ये तथ्य पुष्ट है कि घ ाटना स्थल पर दिनांक 07.04.2017 को और दिनांक 08.04.2017 को बाघ को नाले में घायल अवस्था में देखा गया और पाया गया।

21. परिक्षेत्र सहायक गजानंद कोड़ापे (परि0सा0 क0 1) ने अपने कथन में आगे बताया है, कि टाईगर स्ट्राईक फोर्स होशंगाबाद वालों ने जख्मी बाघ को बेहोश

करने वाली गन से बाघ को बेहोश किया था, जिसका पंचनामा प्र0पी0 3 उसने बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जब बाघ अचेत हो गया तब उसे उठाकर भोपाल वन विहार में उपचार हेतु रेफर कर दिया था। प्र0पी0 3 के पंचनामे के अवलोकन से दर्शित है कि दिनांक 08.04.2017 को सुबह 9 बजे के लगभग यह पंचनामा वन मंडलाधिकरी उत्तर बैतूल सामान्य तथा रेस्क्यू दल सतपुड़ा टाईगर रिजर्व होशंगाबाद तथा अन्य कर्मचारी अधिकारियों के साथ वन कक्ष क0 पी0 453 के जटाशंकर नाले के बूचाआम नामक स्थान पर पहुंचे। रेस्क्यू दल में आये चिकित्सकों ने चोटग्रस्त घायल बाघ को बेहोश कर सफलता पूर्वक रेस्क्यू किया। नाले से पहुंच मार्ग तक बचाव सामग्री के जाल तथा खटिया की सहायता से कंधों पर रखकर नाले से ऊपर लेकर आये और उसे इलाज के लिये वन विहार भोपाल भेजा गया। इस पंचनामे की पुष्टि साक्षी गनराज (परि0सा0 क0 9) के कथन से होती है। इस साक्षी का कहना है कि वह दूसरे दिन भी वन विभाग वालों के साथ राठीपुर जंगल गया था। घ ायल शेर जो चल नहीं पा रहा था। जिसका पिछला हिस्सा उठ भी नहीं रहा था, को वन विभाग वालों ने इंजेक्शन लगाकर उठाया था और इलाज के लिये कहीं भिजवाया था। यह साक्षी ग्राम राठीपुर का ही रहने वाला है। जो कि मजदूर है। तब इस साक्षी ने घटना स्थल पर जो कार्यवाही देखी उसके बारे में स्वाभाविक कथन किया है। तब यह तथ्य पुष्ट होता है कि घटना स्थल राठीपुर बीट कक्ष क0 453 से घायल शेर (बाघ) को वन विभाग वालों ने दिनांक 08.04.2017 को रेस्क्यू कर बेहोश कर उपचार के लिये वन विहार भोपाल भिजवाया था।

22. परिक्षेत्र सहायक गजानंद कोड़ापे (परि0सा0 क0 1) ने अपने कथन में आगे बताया है कि बाघ को आयी हुई चोट हथियार की होना प्रतीत होने से मौका स्थल के आस पास का सघन निरीक्षण किया तो निरीक्षण के दौरान कहीं भी ट्रेच केंच (फंदा) नहीं मिला। तब दिनांक 10.04.2017 को उप वन मंडलाधिकारी सारणी, परिक्षेत्र अधिकारी बैतूल एवं रानीपुर तथा अन्य कर्मचारीगण को लेकर घटना स्थल पुनः गये वहां बारीकी से निरीक्षण करने पर पत्थरों पर खून के दाग एवं झाडियों में बाघ के बाल मिले जिसका पंचनामा प्र0पी0 4 इस साक्षी के समक्ष दुर्गेश कुशराम ने बनाया था। जिस पर इस साक्षी के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर है। इस प्र0पी0 4 के पंचनामें की पुष्टि गनराज (परि0सा0 क0 9), पंचनामा तैयार करने वाले वन रक्षक दुर्गेश (परि0सा0 क0 11) एवं एस0डी0ओ0 सुदेश महिवाल (परि0सा0 क0 12) के कथन से होती है। प्र0पी0 4 का पंचनामे के अवलोकन से दर्शित है कि घटना स्थल पर पहुंचकर वन अधिकारियों के अमले ने ग्राम राठीपुर, कुम्हारटेक एवं बोड़ी के ग्रामीणों के साथ घटना स्थल का बारीकी से मुआयना किया और घटना स्थल से घायल को बाघ के शिकार होने को लेकर सबूत एकत्र किये और ग्रामीणों से पूछताछ की कि बाघ के द्वारा पिछले एक सप्ताह में किसी मवेशी का शिकार तो नहीं किया तो ऐसी कोई जानकारी बाघ के संबंध में ग्रामीणों से नहीं मिली। घटना स्थल वाले नाले में पानी भरी हुई जगह के दोनों तरफ परछे बने हुए मिले एक पत्थर का बना हुआ था और दूसरा घांस फूस पत्ती का बना हुआ था। घटना स्थल से बाघ के बाल एवं झाड़ियों मे लगे खून के धब्बे का सेम्पल सुरक्षित रखा और पत्थर एवं चट्टान पर खून एवं बाघ

के बाल चिपके हुए दिखायी दिये तब ये विस्तृत पंचनामा इस तथ्य की पुष्टि करता है कि घटना स्थल जटाशंकर मंदिर नाला जिसे बूचाआम के नाम से जाना जाता है, वह वही है, जहां बाघ का शिकार किया गया और बाघ घायल होकर करीब 50–60 मीटर तक घिसटकर नाले में पानी में जाकर बैठ गया। फिर इसके बाद वह उठ नहीं सका।

23. परिक्षेत्र सहायक गजानंद कोड़ापे (परि0सा0 क0 1) ने अपने कथन की कंडिका 6 में आगे बताया है, कि प्र0पी0 4 के पंचनामे में वर्णित सामग्री को वनरक्षक ने जप्त किया था। वनरक्षक दुर्गेश कुशराम (परि0सा0 क0 11) ने इस तथ्य की पुष्टि करते हुए प्र0पी0 92 के जप्ती पंचनामे को पुष्ट एवं प्रमाणित किया है। इस साक्षी का कहना है कि उसने साक्षी गोलू और गनराज के समक्ष मौके पर से खून लगी झाड़ी और बाघ के खून लगे बाल जप्त किये थे, जिस पर बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। स्वतंत्र साक्षी गनराज (परि0सा0 क0 9) ने भी इस कार्यवाही की संपुष्टि की है।

24. अभिषेक उपाध्याय वनरक्षक (परि0सा0 क0 13) ने कथन में बताया है कि वह दिनांक 08.04.2017 को क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स होशंगाबाद में वन रक्षक के पद पर पदस्थ था। उसके साथ स्ट्राईक फोर्स होशंगाबाद में सहायक वन संरक्षक के पद पर संदेश माहेश्वरी पदस्थ थे। गजानंद कोड़ापे परिक्षेत्र सहायक राठीपुर बैतूल में पदस्थ थे। इस साक्षी का कहना है कि उन्हें 07.04.2017 की शाम को राठीपुर वन परिक्षेत्र में वन्य प्राणी बाघ/शेर के शिकार हो जाने के कारण घायल होने की सूचना मिली थी, तब उसे उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर जाने के लिये निर्देशित किया था। इस साक्षी का यह भी कहना है कि वह वन परिक्षेत्र राठीपुर पी0एफ0 453 बूचाआम नाला जटाशंकर कुम्हारटेक स्थान पर पहुंचा था। इस साक्षी का यह भी कहना है कि सतपुड़ा टाईगर रिजर्व की रेस्क्यू टीम आवश्यक संसाधनों के साथ मौके पर पहुंची थी। तब उनके दल ने दूर से देखा तो वन्य प्राणी टाईगर घायल अवस्था में अधलेटी अवस्था में दिखायी दिया। तब उसे बेहोश करने वाली बंदूक से फायर करके बेहोश किया और उसके पास जाकर देखा तो शेर के शरीर से खून बह रहा था। खून के धब्बे जगह जगह लगे हुए थे। इस साक्षी का कहना है कि प्रथम दृष्टि में देखने पर ऐसा लग रहा था कि किसी आग्नेय आयुध से फायर की चोट उसको पहुंचायी गयी है। तब उनके दल ने उक्त बात को सभी आवश्यक सावधानिया बरतते हुए जाल के माध्यम से उठाया और वाहन में रखकर वन विहार भोपाल भेजा। इस साक्षी का कहना है कि उस समय घटना स्थल पर बाघ का रेस्क्यू किये जाते समय डिजिटल कैमरे से फोटो लिये थे। जो प्र0पी0 97 है।

25. साक्षी डॉ0 गुरूदत्त शर्मा (परि0सा0 क0 7) का कहना है, कि वह दिनांक 07.04.2017 को सहायक शल्य पशु चिकित्सक के पद पर पदस्थ था। उसे क्षेत्रीय संचालक सतपुड़ा टाईगर रिजर्व ने राठीपुर में एक बाघ के फंसे होने की सूचना दी थी, सूचना मिलते ही वह तत्काल रात में ही मौके पर पहुंच गया था। अगले दिन सुबह बाघ को रेस्क्यू कर वन विहार के लिये रवाना कर दिया था। इस साक्षी ने यह भी बताया कि बाघ के साथ वह वन विहार भोपाल तक गया था। तब घायल बाघ को रेस्क्यू कर वन विहार भोपाल तक इलाज के लिये ले जाया गया इस तथ्य की पुष्टि इस साक्षी के कथन से होती है।

26. साक्षी डॉ0 गुरूदत्त शर्मा (परि0सा0 क0 7) ने आगे कथन मे बताया है कि दि010.04.2017 को संचालक राष्ट्रीय उद्यान भोपाल के निवेदन पर उसने घायल बाघ का परीक्षण किया था। परीक्षण के समय उसके साथ फारेंसिक मेडिशियन के विशेषज्ञ डॉ0 सतपथि, एवं डॉ0 अमोल नरवड़े भी मौजूद थे। बाघ का परीक्षण वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सक ने उसके सामने किया था। बाघ के शरीर पर निम्न चोट पायी थी :–

चोट क0 1– बाघ के पिछले पांव में 1.5 से0मी0 अर्द्ध व्यास का गोलाकार फटा हुआ घाव था जो जांघ पर स्थित था। यह चोट घुटने से 8 से0मी0 उपर थी। इस घाव का पिछला किनारा स्लोप था एवं अगला किनारा थोड़ा उठा हुआ था।

चोट क0 2– इसी तरह इसी बायें के भीतर की तरफ एक फटा हुआ घाव था, जो कि गोलाकर एवं 2.5 गुणा 1 से0मी0 था। इस साक्षी का कहना है कि जब उसने लोहे का सलाख डालकर देखा तो चोट क0 1 और 2 दोनों मिले हुए थे। जहां से रक्त स्राव हो रहा था।

चोट क0 3– एक फटा गोलाकर घाव जिसका पिछला बार्डर स्लोप था एवं अगला किनारा उठा हुआ था, बाघ के बायें पेट पर पाया गया था। जो कि इन्वाइनल ज्वाइंट से 10 से0मी0 उपर था। इसमें भी लोहे का सलाख डाला तो यह तिरछापन लिये हुए नीचे की ओर होते हुए आगे की ओर जा रहा था। यह मात्र चमड़े के नीचे ही यह घाव था। यह पेट के चमड़े में ही आगे की ओर बढ़ते हुए दाहिने तरफ हो गया था। संपूर्ण घाव की लंबाई 30 से0मी0 थी। इन तीनों चोटों की फोटो लेकर चोटों को परीक्षण टीम ने दर्शाया है, फोटोग्राफ्स प्र0पी0 75 ए लगायत 75 एच तक है।

चोट क0 4– बायें पांव पर सामने की ओर पेट में मध्य रेखा से 15 से0मी0 बायें तरफ एवं 10 से0मी0 कूल्हे की हड्डी से आगे एक गोलाकर फटा घाव था। जिसका कि निचला एवं पिछला किनारा स्लोप लिये हुए था। तथा उपरी एवं अग्र किनारा उठा हुआ था। जिसमें लोहे का सलाख डालकर देखा गया तो यह घाव उपर की ओर तिरछापन लिये हुए आगे की ओर मसल्स मे होता हुए मेरूदंड की हड्डी तक पहुंच गया था। इस हिसाब से यह मेरूदंड कमर का एल1 तथा एल2 लेबल का था। इस संपूर्ण घाव की लंबाई 20 से0मी0 थी। इस घाव को फोटों में प्र0पी0 75 बी एवं डी से दर्शाया गया है, जिस पर डॉ0 सतपथि के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर है।

27. उक्त पशु चिकित्सक डॉ0 गुरूदत्त शर्मा ने आगे मुख्य परीक्षण की कंडिका 4 में बताया कि उसने इन घावों की दिशा और प्रकार के अनुसार चोटों का पुर्ननिर्माण किया तो चोट क0 1, 2, 3 एक ही लाईन मे पाये गये एवं इसकी दिशा तिरछापन लिये हुए नीचे की ओर भीतर की ओर, सामने की ओर और बायें से दाहिने की ओर थी, तथा इस चोट ने इनके बीच जो भी हड्डियां आयी उनको तोड़ दिया था, जहां पर टूटी हुई हड्डियों के क्रिप्टेशन महसूस किया जा सकता है, यह चोट आग्नेय अस्त्र की थी, चोट क0 1 प्रवेश घाव था, चोट क0 2 निर्गम घाव था, तथा चोट क0 3 पुनः प्रवेश घाव था, इस प्रकार बाघ बैठे हुए अवस्था का पुनः निर्माण कर रहा था या थोडा दाहिने तरफ झुका हुआ होगा उसका पेट साफ्ट था, उसमें किसी तरह का कठोरपन नहीं था, किस तरह का पेट के आंतरिक हिस्सों में चोट या आरफोरेशन या

पेरीटोनाईसिस नही था उसका तापमान 100 डिग्री था, किसी तरह का इन्फेक्शन भी उस समय नहीं था, दोनों पिछले पांव की मसल्स शिथिल थी तथ पूंछ से लेकर दोनों पुट्ठे दोनों पिछले पांव, कमर के मेरूदंड 1 तक किसी भी तरह का सेंशेसन नही था। टाईगर का पिछला आधा हिस्सा मेरूदंड 1 के नीचे से देखने पर पाया गया कि जगह जगह खरोंचें पायी गयी तथा उस स्थान से बाल गायब थे जो कि दोनों पांव तथा पेट में जगह जगह था। उक्त सभी चोटों के इलाज के लिये एक्सरे कराने की सलाह दी थी। इस प्रकार इस चिकित्सक के द्वारा किये गये सूक्ष्म परीक्षण के उपरांत दिये गये अभिमत से यह स्थिति बनती है, कि बाघ जब नाले में पानी पीने के लिये दाहिने ओर झुका तब उस पर आग्नेय अस्त्र बंदूक की गोली से वार या आक्रमण किया गया, आग्नेय अस्त्र से बाघ को पिछले हिस्से में जांघ के पास पेट के नजदीक गोली लगी जिससे उसका पिछला हिस्सा चोट ग्रस्त होकर लकवा ग्रस्त हुआ, तब इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि जब बाघ घायल हुआ तब वह छटपटाकर घिसटकर आगे की ओर बढ़ा होगा तब उसके पिछले भाग में खरोंचें आयी होगी और उस स्थान से जमीन से रगड़ लगने से बाल भी उखड़े होंगे।

28. उक्त पशु चिकित्सक डॉ0 गुरूदत्त शर्मा ने आगे मुख्य परीक्षण की कंडिका 5 में बताया है कि दिनांक 11.04.2017 को सी0आर्म मशीन से बाघ का एक्सरे लिया गया, उस समय डॉ0 तुमारिया तथा एक्सरे टेक्नीशियन विनोद सिंह पशु चिकित्सालय भोपाल के निर्देशन में लिया गया, उसमें पाया गया कि एक गोलाकार ओपेक(छर्रा) पेट में चमड़े के नीचे स्थित है, जो कि चोट क्र0 3 की दिशा में है। इसके पहले मेटल डिटक्टर का भी उपयोग किया था, तो शरीर में धातु पाये जाने का संकेत सकारात्मक पाया गया, चिकित्सक बताता है, कि उन्होने चमड़े को काटकर वहां से एक धातु को गोला बरामद किया था, जो कि निचले पेट पर दाहिने तरफ पाया गया, यह धातु का गोला शीशा का बना था, तथा 1.5 से0मी0 अर्द्ध व्यास का था, तथा इसका वजन 23.310 ग्राम था। इस गोले में जगह जगह खरोंच के निशान थे। एक्सरे में बायां टीबियल हड्डी का कुचला हुआ फ्रेक्चर पाया गया। यह फ्रेक्चर चोट क्र0 1 ओर 2 के कारण था तथा कमर की हड्डी 2 एवं 3 मेरूदंड कुचला हुआ कंप्रेस्ड फ्रेक्चर था, यहां पर भी एक धातु का गोलाकर पदार्थ दिख रहा था, जिसके आजू बाजू धातु के छोटे छोटे किरच (टुकड़े) पाये गये। स्पाईनल कार्ड टूट चुका था। इस चिकित्सक ने मुख्य परीक्षण की कंडिका 6 में बताया है कि उक्त सभी जांच एवं पुनः निर्माण के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे थे कि युवा नर बाघ आग्नेय अस्त्र की चोट से ग्रसित था। यह चोट स्मूथ बोर गन से पहुंचायी गयी थी। उक्त चोटें जब बाघ विश्राम अवस्था में थोडा दाहिनी तरफ झुका हुआ बैठा होगा तब यह चोट पहुंचायी गयी थी, इसी लिए आग्नेय अस्त्र से निकलने वाली गोली/छर्रे का बल पीछे से आगे की ओर भीतर की ओर बायें से दाहिनी दिशा की ओर पाया गया। उसमें दो शीशे की गोली से चोट पायी गयी थी। चोट क्र0 1 एवं 4 थी। चोट क्रं0 3 मे जो धातु का गोला था उसे निकाला गया। जबकि चोट क्र0 4 का गोला मेरूदंड में धंसा था, उसे छोड़ दिया, चोट क्र0 4 के कारण बाघ लकवाग्रस्त हुआ। बरामद किया हुए शीशे को गोले को बेलेस्टिक एक्सपर्ट से जांच कराने की सलाह दी थी। इस चिकित्सक ने

परीक्षण अभिमत रिपोर्ट प्र0पी0 83 पर ए से ए भाग पर डॉ0 सतपथि एवं बी से बी भाग पर स्वयं एवं सी से सी भाग पर डॉ0 अमोल नरवडे के हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। प्र0पी0 84 की परीक्षण रिपोर्ट को भी इस साक्षी ने पुष्ट एवं प्रमाणित किया है।

29. फॉरेंसिक मेडीसिन प्राध्यापक डॉ0 डी0के0सतपथि (परि0सा0 क0 4) ने कथन किया है कि वह दिनांक 10.04.2017 की एल.एन. मेडिकल भोपाल में फारेंसिक मेडिकल प्राध्यापक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वन विहार भोपाल में जाकर घायल बाघ का परीक्षण किया था। उक्त परीक्षण हेतु उन्हें संचालक वन विहार द्वारा दूरभाष पर निवेदन किया गया था, बाघ वन विहार के वार्ड में रखा गया था, साक्षी बताता है, कि उन्होने परीक्षण संचालक वन विहार श्रीमति समिता राजौरा, डॉ0 गुरूदत्त शर्मा पशु चिकित्सक सतपुड़ा टाईगर रिजर्व होशंगाबाद, और डॉ0 अमोल नरवाड़े पशु चिकित्सक वन विहार की उपस्थित में एवं उनकी सहायता से संपन्न किया था। परीक्षण के पूर्व उन्होने बाघ की जो संक्षिप्त जानकारी ली थी, उसका उल्लेख उन्होने परीक्षण रिपोर्ट में किया था। परीक्षण करने पर पाया था कि बाघ तीन वर्षीय नर था, जिसकी सामान्य अवस्था कमजोर थी, वह डल था तथा निर्जल स्थिति में पाया गया। उसके शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी। इस चिकित्सक ने उपरोक्त डॉ0 गुरूदत्त शर्मा (परि0सा0 क0 7) के द्वारा बतायी गयी चोटों की पुष्टि करते हुए बताया है कि आहत बाघ आग्नेय अस्त्र की चोट से घायल हुआ था। इस विशेषज्ञ चिकित्सक साक्षी ने प्र0पी0 83 की विस्तृत परीक्षण एवं अभिमत रिपोर्ट को पुष्ट एवं प्रमाणित किया है, तब इन दोनों चिकित्सकों की साक्ष्य से यह तथ्य पुष्ट है, कि घायल बाघ को आग्नेय अस्त्र की चोट थी, और वह स्पाईनल कॉर्ड के टूटने से लकवा ग्रस्त हो चुका था, और उसके शरीर में गोली/छर्रे पाये गये। चोट क0 3 में फंसा हुआ छर्रा उपचार के दौरान निकाला जाकर बैलेस्टिक एक्सपर्ट को जांच के लिये भेजा गया और चोट क0 4 मेरूदंड में फंसा छर्रा उपचार के दौरान नहीं निकाला जा सका, बल्कि बाघ के मृत होने पर पोस्ट मार्टम के समय उसे बरामद किया गया। यही चोट क्रं0 4 बाघ की मृत्यु का कारण उपचार के दौरान आगे जाकर बनी।

30. डॉ0 गुरूदत शर्मा (परि0सा0 क0 7) ने आगे कथन में बताया है कि दिनांक 21.04.2017 को संचालक वन विहार भोपाल द्वारा घायल बाघ के मृत होने की सूचना दी थी, जिसका पोस्ट मार्टम दिनांक 22.04.2017 को उसने डॉ0 सीमा भिंडवाले भोपाल तथा डॉ0 अमोल नरवड़े की टीम ने किया था। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में भी उक्त सभी चोटें दर्शायी गयी है। पोस्ट मार्टम के दौरान मेरूदंड एल 2 एवं एल 3 में फंसी गयी गोली/छर्रा निकाला गया और संचालक वन विभाग को सुपुर्द किया गया। इस चिकित्सक ने यह भी बताया कि पोस्ट मार्टम के उपरांत उनकी टीम के द्वारा मृत बाघ के हृदय, फेफड़े, तिल्ली, गुर्दे, यकृत के टुकड़े काटकर सीलबंद कर रसायनिक परीक्षण हेतु वन विभाग को सौंप दिये। शव परीक्षण करने के बाद यह पाया गया कि बाघ की मृत्यु किसी आग्नेय अस्त्र से फायर कर पहुंचायी गयी चोट से उत्पन्न सेप्टीसीमिया एवं शरीर में जहर फैल जाने के कारण होना पायी थी, शव परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0 62 जो 5 पृष्ठों में है को पुष्ट एवं प्रमाणित किया है। इस चिकित्सक ने प्र0पी0 85 का

पंचनामा जो दिनांक 22.04.2017 को पोस्ट मार्टम हाउस वन विहार भोपाल में तैयार किया था उसको भी पुष्ट एवं प्रमाणित किया है, इस चिकित्सक का कहना है कि शव परीक्षण के बाद बाघ के शरीर को जलाकर नष्ट कर दिया गया था, जिसका पंचनामा प्र0पी0 86 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पंचनामा प्र0पी0 85 एवं 86 तथा पोस्ट मार्टम रिपोर्ट प्र0पी0 62 से यह तथ्य पुष्ट होता है, कि घायल बाघ जिसको कि रेस्क्यू कर दिनांक 08.04.2017 को राठीपुर वन परिक्षेत्र उत्तर बैतूल सामान्य वन मंडल के कक्ष क्रं0 453 से वन विहार भोपाल लाया गया था। जिसका उपचार दिनांक 08.04.2017 से लगातार चला लेकिन घायल बाघ जो कि शिकार में आयी हुई चोटों की जटिलताओं के कारण दिनांक 21.04.2017 की रात को वन विहार भोपाल में मृत हुआ। इस प्रकार कुल 11–12 दिन तक घायल बाघ जिंदा रहा।

31. अब देखना यह है, कि वन्य प्राणी **''बाघ''** का शिकार किन परिस्थितियों में कैसे हुआ और इसकी पतासाजी में वन अधिकारियों ने किस प्रकार से साक्ष्य संकलित की?

32. परिक्षेत्र सहायक (डिप्टी रेंजर) गजानंद कोड़ापे (परि0सा0 क्र0 1) ने अपने कथन की कंडिका 7 में बताया है कि स्थानीय मुखबिर तंत्र से पता किया कि बाघ का शिकार किसने किया, उसी दिशा में वह लोग जांच पड़ताल के लिये निकले तब सुंदरलाल काजले से पूछताछ की, सुंदरलाल ने बताया कि मंगलवार के दिन बस्तीराम, गुलाब सिंह, गुड्डू उर्फ सुखचंद, गुड्डू के खेत की तरफ गये थे। सुंदरलाल ने उसे यह भी बताया था कि सुभाष उसके घर आया था और उसने भी बताया था कि बस्तीराम, गुलाब सिंह, गुड्डू ने बाघ का शिकार किया है। जो आज भी गुर्रा रहा है। तब उसने पूछताछ पंचनामा प्र0पी0 5 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्र0पी0 5 के पंचनामे के अवलोकन से दर्शित है, कि यह वन अधिकारी गांव के पंचों को लेकर दिनांक 10.04.2017 को ग्राम खिड़की चोपन कुम्हारटेक से निकले और ग्राम कुम्हारटेक बोड़ी के रास्ते के पास जब उन्हे एक व्यक्ति मिला उसने अपना नाम सुंदलाल काजले बताया उससे जब शिकार के संबंध में पूछताछ की तो उसने बताया कि दिन मंगलवार दिनांक 04.04.2017 को बस्तीराम एंव गुलाब सिंह निवासी कुम्हारटेक को बंदूक लेकर गुड्डू के खेत की तरफ जाते हुए देखा। इसके अलावा उसके गांव का सुभाष उसके घर पर आकर बोला था कि जंगल में शेर मार दिया है, शेर अभी भी गुर्रा रहा है, तब उसने सुभाष से पूछा था कि तुम लोग कौन कौन थे तब उसने बताया था कि गुड्डू, छोटू, गुलाब सिंह, बस्तीराम और मैं था। तब इस साक्षी को सबसे पहले सूचना सुंदरलाल काजले नाम के व्यक्ति से मिली। सुभाष नाम का व्यक्ति जिसने सुंदरलाल को जंगल में शेर मार देने और शेर गुर्राने का जो बतलाया और शेर मारने में संलिप्त लोगों के जो नाम बतलाये वह इस प्रकरण में आरोपी भी है।

33. परिक्षेत्र सहायक गजानंद कोड़ापे (परि0सा0 क्र0 1) ने अपने कथन की कंडिका 8 में आगे बताया है, कि उसके बाद वह संरक्षित कक्ष क्रं0 पी0 453 जटाशंकर नाला पर मुआयना हेतु एस0डी0ओ0 सारणी एवं महेश महिपाल और अन्य स्टाफ को

साथ लेकर गया था। तो वहां उसने देखा था कि चट्टानों एवं पत्थरों पर खून के दाग एवं बाघ के बाल बिखरे हुए एवं चिपके हुए दिखे थे और दो स्थानों के शिकारियों के छिपकर बैठने के स्थान मिले थे। तब उसे और उसके स्टाफ को शंका हुई कि बाघ का शिकार किया गया है, उसने नाले का मुआयना कर पंचनामा प्र0पी0 6 तैयार किया था, जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इस पंचनामें में इस बात का भी उल्लेख आया है कि वह बीट गार्ड राठीपुर एवं सुरक्षा श्रमिकों को साथ रखकर ग्राम पितरई से खिड़की चोपन होते हुए, ग्रामीणों से पूछताछ हेतु निकले थे, तब छेदीलाल नाम के व्यक्ति ने घटना के बारे में बताया था, जिसका बयान दर्ज किया गया था। प्र0पी0 8 सुंदरलाल काजले का कथन एवं प्र0पी0 7 सेदीलाल कोरकू का कथन जो कि स्थान कुम्हारटेक खिड़की चोपन में दिनांक 10.04.2017 को दोपहर 2 बजे एवं 2. 30 बजे परिक्षेत्र सहायक राठीपुर ने दर्ज किया है। इन दोनों व्यक्तियों के कथनों से शिकार की घटना में प्रयुक्त हथियार एवं संलिप्त व्यक्तियों के बारे में प्राथमिक जानकारी वन अधिकारी परिक्षेत्र सहायक राठीपुर को पंच साक्षियों के समक्ष प्राप्त हुई। इस तथ्य की पुष्टि वनरक्षक बीट गार्ड राठीपुर दुर्गेश कुशराम (परि0सा0 क0 11) एवं गणराज (परि0सा0 क0 9) के कथन से होती है।

34. सबसे पहले शिकार की घटना के बारे में महत्वपूर्ण सूचना सुंदरलाल काजले पिता मंगते काजले जाति कोरकू निवासी ग्राम कुम्हारटेक से दिनांक 10.04. 2017 को दोपहर 2 बजे के लगभग प्राप्त हुई। जिस पर से उसका बयान परिक्षेत्र सहायक गजानंद कोड़ापे ने साक्षियों के समक्ष लेख किया है, जिस पर बयानकर्ता सुंदरलाल का निशानी अंगूठा चस्पा है, जो प्र0पी0 8 है, वह अक्षरशः इस प्रकार है–''मैं सुंदरलाल आ0 मंगते काजले जाति कोरकू उम्र 30 वर्ष साकिन कुम्हारटेक खण्डारा थाना तहसील जिला बैतूल (म0प्र0) का निवासी हूं, परिक्षेत्र सहायक राठीपुर के समक्ष उपस्थित होकर पूर्ण होश हवास में, बिना किसी दबाव के भय मुक्त वातावरण में बयान लिखवा देता है, कि मैने अपनी आंखों से बाजार के दिन मंगलवार को दिनांक 04.04. 2017 में रात को लगभग 8 बजे मेरे गांव के बस्तीराम पिता शंकर तथा गुलाब सिंह को मेरे घर से गुड्डू के खेत के तरफ बंदूक लेकर जाते हुए देखा था। दोनों के पास बंदूक थी। दिनांक 05.04.2017 को मैं सुबह लगभग सात बजे अपने घर में था, उसी समय मेरे गांव का सुभाष बल्द सूरतलाल भुसुमकर मेरे पास आया। मुझसे बोला कि हमने जंगल में शेर को बंदूक से गोली मार दी है। शेर अभी गुर्रा रहा है। मैने पूछा तेरे साथ कौन कौन था। तब सुभाष ने बताया कि उसके साथ सुखचंद, दीपचंद आ0 नजरू भुसुमकर, गुलाबसिंह थे ये सभी व्यक्ति कुम्हारटेक के है, और यह भी बताया कि किसी को बताना मत। बयान मुझे पढकर सुनाया जो मैने बताया वहीं लिखा है, बस यही मेरा बयान है।''

35. इसी प्रकार बयानकर्ता सेदीलाल पिता नारसू कोरकू उम्र 50 वर्ष साकिन कुम्हारटेक ने प्र0पी0 7 का जो बयाना दिया वह अक्षरशः इस प्रकार है–''मैं पूर्ण होश हवास में, बिना किसी दबाव के भय मुक्त वातावरण में परिक्षेत्र सहायक राठीपुर के समक्ष उपस्थित होकर सत्य बयान करता हूं कि मेरा खेत जंगल के किनारे है, मै खेत में ही परिवार सहित रहता हूं, अतः मैं सुबह सुबह जंगल जाता रहता हूं, दिन इस

बुधवार को सुबह 6–7 बजे मै जंगल जड़ी खोदने दवाई के लिये जा रहा था, उसी समय जंगल की ओर से कुम्हारटेक गांव की ओर आ रहे सुखचंद उर्फ गुड्डू आ0 नजरू कोरकू, दीपचंद उर्फ छोटू आ0 नजरू कोरकू, सुभाष आ0 सूरतलाल कोरकू, निवासी कुम्हारटेक एंव अन्य दो लोग जिन्हें मै पहचान नहीं पाया देखा था, गुड्डू के पास बंदूक थी, एवं अन्य दो व्यक्तियों के पास बेसा सहित कुल्हाडियां थी। अन्य दो व्यक्तियों के पास दूर होने के कारण क्या समग्री थी नहीं मालूम। मंगलवार की रात 8–9 बजे जंगल में बंदूक चलने की आवाज मैने सुनी थी, मैने गुड्डू से पूछा तो उसने रात में शिकार करने की बात बतायी थी, उसके बाद मैं जंगल चला गया था। बस मेरा यही बयान है, मुझ बयान पढकर सुनाया, मैने जो बताया वही लिखा है। मै बयान देने को कोर्ट या साहब लोगों के पास भी जा सकता हूं, इस बयान पर बयानकर्ता सेदीलाल के हस्ताक्षर है और साक्षी गणराज एवं गोलू के भी हस्ताक्षर है।''

36. उक्त दोनों व्यक्ति जो कि ग्राम कुम्हारटेक के निवासी होकर आदिवासी समुदाय के है। जो कि घटना स्थल से लगे गांव के निवासी है। इन दोनों व्यक्तियों ने घटना क्रम के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी दी, उस पर से बन अधिकारियों ने जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया है। साक्षी परिक्षेत्र सहायक गजानंद कोड़ापे (परि0सा0 क्र0 1) ने अपने कथन की कंडिका 11 में बताया है कि उसने साक्षीगण के बयान एवं स्थानीय ग्रामीणों से पूछताछ करने पर आरोपीगण गुलाब बस्तीराम गुड्डू एवं अन्य के विरूद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 44, 50, 51 के तहत वनरक्षक दुर्गेश कुशराम से वन अपराध पंजीबद्ध करवाया था। साक्षी वनरक्षक दुर्गेश कुशराम (परि0सा0 क्र0 11) ने अपने कथन से इस तथ्य की पुष्टि की है कि उसने आरोपीगण के विरूद्ध अनुसूची 1 के वन्य प्राणी बाघ/शेर को बंदूक से मारकर शिकार करने का अपराध घटित होना पाते हुए पी0ओ0आर0 नं0 38/44 दिनांक 10.04.2017 को पंजीबद्ध किया था, जो प्र0पी0 96 हैं। जिसके पर ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्र0पी0 96 की पी0ओ0आर0 के अवलोकन से दर्शित है, कि आरोपी सुभाष सुखचंद उर्फ गुड्डू दीपचंद उर्फ छोटू के विरूद्ध दिनांक 10.04.2017 को वन अपराध दर्ज किया गया और अग्रिम विवेचना जारी रखी गयी।

37. साक्षी परिक्षेत्र सहायक गजानंद कोड़ापे (परि0सा0 क्र0 1) ने अपने कथन की कंडिका 12 में आगे बताया है कि उसने दिनांक 11.04.2017 को संरक्षित वन क्षेत्र के कक्ष क्र0 453 में स्थित जटाशंकर नाले का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया था, निरीक्षण करने पर भरमार बंदूक के उपयोग करने वाली चिंदी (कपड़ा) जिसमें से बारूद की ताजी महक आ रही थी। मौके पर मिली थी। घटना स्थल पर दो पत्थरों पर छर्रे लगने के निशान भी मिले थे, जिसमें से बारूद की ताजी महक आ रही थी, हाथ लगाकर देखने पर बारूद के अंश भी पत्थर पर पाये गये थे। दो छोटे पत्थरों पर बारूद के साथ निशान मिले थे। घटना स्थल के नाले के दोनों किनारों पर शिकारियों का शिकार करने के लिये छिपकर बैठने का ठिकाना मिला था, जिसका फोटोग्राफ्स जी0पी0एस0 रीडिंग भी ली गयी थी। डॉग स्क्वॉड से सर्चिंग कराने पर घटना स्थल से पूर्व दिशा में 20–25 मीटर तक जगह जगह खून के निशान एवं वन्य प्राणी के बाल पाये गये थे। घटना स्थल के पश्चिम दिशा में 50–60 मीटर की जगह पर जगह खून

के निशान भी पाये गये थे। साक्षियों के समक्ष निरीक्षण कर प्र0पी0 9 का पंचनामा तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इस तथ्य की पुष्टि वन रक्षक दुर्गेश कुशराम (परि0सा0 क0 11), एस0डी0ओ0 वन सुदेश महिवाल (परि0सा0 क0 12), वन रक्षक अभिषेक उपाध्याय (परि0सा0 क0 13) एवं गणराज (परि0सा0 क0 9) के कथनों से होती है।

38. साक्षी संदेश माहेश्वरी (परि0सा0 क0 2) ने भी अपने कथन से इस तथ्य की पुष्टि की है कि दिनांक 11.04.2017 को उसे डी0एफ0ओ0 उत्तर बैतूल ने मोबाईल पर सूचना देकर बाघ के शिकार हो जाने के मामले में जांच हेतु प्रशिक्षित डॉग लेकर बैतूल बुलाया था। तब वह बैतूल प्रशिक्षित डॉग लेकर आया था। तब वह एस0डी0ओ0 सारणी बैतूल तथा परिक्षेत्र अधिकारी रानीपुर, बैतूल, राठीपुर के साथ वन कक्ष क0 पी0 453 में प्रशिक्षित डॉग के साथ जांच के लिये गये था। उक्त वन परिक्षेत्र कक्ष में एक नाला जिसे जटाशंकर नाला कहते है। उसमें वन्य प्राणी के खून के निशान एवं बाल जगह जगह मौजूद मिले थे और पत्थरों पर बारूद के निशान लगे हुए पाये थे। उसी स्थान पर कपड़े की चिदियां जिससे बारूद की ताजी महक आ रही थी, मिली थी, उक्त नाले में दोनों ढाल पर शिकारियों द्वारा बनाये गये मचान या पारछे मौजूद थे। प्रशिक्षित डॉग से मौके की जांच करायी थी, निरीक्षण का पंचनामा डिप्टी रेंजर कोडापे ने प्र0पी0 9 बनाया था। तब यह तथ्य पुष्ट होता है कि वन मंडलाधिकारी बैतूल उत्तर ने बीट राठीपुर के संरक्षित कक्ष क्रं0 453 में हुए बाघ के शिकार की घटना को गंभीरता से लेते हुए उसकी सघन जांच पड़ताल हर स्तर पर सावधानी पूर्वक कराते हुए अपराधियों को पकड़ने एवं अपराध में प्रयुक्त सामग्री एंव साक्ष्य सबूतों को वैज्ञानिक तौर पर एकत्र करने का हर संभव प्रयास किया।

39. साक्षी वनरक्षक दुर्गेश कुशराम (परि0सा0 क0 11) ने अपने कथन की कंडिका 9 में बताया है कि उसने दिनांक 11.04.2017 को संरक्षित कक्ष क0 453 से मौके से कपड़े की चिंदी के 9 टुकड़े, पत्थर का एक टुकड़ा तथा एक अन्य पत्थर एवं झाड़ी जिस पर वन्य प्राणी के खून के दाग थे, साक्षी गोलू और गणराज के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी0 93 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जप्ती पंचनामा प्र0पी0 93 की कार्यवाही को साक्षी गणराज (परि0सा0 क0 9) ने अपने कथन से पुष्ट एवं प्रमाणित किया हैं। इस साक्षी का कहना है कि प्र0पी0 93 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने कपड़े की 9 नग चिंदियां, एक पत्थर जिसमें बारूद लगा हुआ था, और दूसरा पत्थर खून का दाग लगा था, एवं झाडी जिस पर खून के दाग लगे थे, वन विभाग ने जप्त की थी।

40. साक्षी परिक्षेत्र सहायक गजानंद कोड़ापे (परि0सा0 क0 1) ने अपने कथन की कंडिका 13 में बताया है कि उसने दिनांक 13.04.2017 को सर्च वारंट क0 10 के पालन में आरोपी बस्तीराम के मकान की तलाशी के लिये गया था। लेकिन उसके घर पर ताला लगा होने से एवं पड़ोसियों द्वारा तीन चार दिन से घर पर नहीं होने की बात बताये जाने पर पंचनामा प्र0पी0 10 तैयार किया था। इसके अलावा आरोपी गुलाब सिंह के घर की भी तलाशी ली थी जिसका तलाशी पूर्व एवं पश्चात् का पंचनामा प्र0पी0 11, 12 बनाया था। उक्त दिनांक को ही आरोपी दीपचंद उर्फ छोटू के घर की

तलाशी थी, तलाशी पूर्व एवं पश्चात् का पंचनामा प्र0पी0 13, 14 बनाया था। इन पंचनामों पर ए से ए भाग पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना बतलाया है। इस साक्षी का कथन है कि उक्त दिनांक को ही उसने आरोपी छोटू उर्फ दीपचंद, सुभाष, सुखचंद उर्फ गुड्डू को प्र0पी0 15, 16, 17 से वन परिक्षेत्र कार्यालय बैतूल में शाम 5 बजे के लगभग गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 15, 16, 17 पर इस साक्षी ने ए से ए भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर एवं बी से बी भागों पर आरोपीगण के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी होना बताया है। इस साक्षी का यह भी कहना है कि दिनांक 16.04.2017 को घटना स्थल की सर्चिंग के दौरान घटना स्थल नाले से लगभग 700 मी0 दूर जटाशंकर मंदिर के पास बंदूक में लगने वाला बैटरी स्टेंड मिला था, उस स्थान की जी0पी0एस0 रीडिंग पंचनामा प्र0पी0 18 बनाते समय लेख की गयी है। जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। बैटरी स्टेंड का जप्ती पंचनामा प्र0पी0 19 साक्षियों के समक्ष तैयार किया, विवेचक ने प्र0पी0 18, 19 की कार्यवाही को अपने हस्ताक्षर से पुष्ट एवं प्रमाणित किया है। साक्षी गणराज (परि0सा0 क0 9) ने भी प्र0पी0 18, 19 की कार्यवाही को अपने कथन से पुष्ट एवं प्रमाणित किया है।

41. साक्षी संदेश माहेश्वरी (परि0सा0 क0 2) सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स होशंगाबाद ने अपने कथन में बताया है कि उसे प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी ने अग्रिम जांच सौंपी थी। प्र0पी0 26 का लिखित आदेश इस साक्षी ने प्रमाण में प्रस्तुत किया है। प्र0पी0 26 के लिखित आदेश क्रं0 190/संरक्षण/2017 दिनांक 17.04.2017 के अवलोकन से दर्शित है, कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने प्रकरण की गंभीरता एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वन अपराध क्रं0 पी0ओ0आर0 क्रं0 38/44 की अग्रिम विवेचना की कार्यवाही राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स को स्थानांतरित करते हुए श्री संदेश माहेश्वरी सहायक वन संरक्षक प्रभारी क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स होशंगाबाद को विवेचना अधिकारी नियुक्त किया था।

42. साक्षी संदेश माहेश्वरी (परि0सा0 क0 2) सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स होशंगाबाद ने अपने कथन में आगे बताया है कि उसने प्रकरण की नस्ती एंव कार्यवाही का तख्ता पूर्व जांच अधिकारी से प्राप्त कर अपने वरिष्ठ अधिकारी को प्र0पी0 27 के माध्यम से सूचना दी थी। प्र0पी0 27 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इस प्रकार प्र0पी0 27 के पत्र से ये तथ्य पुष्ट होता है, कि दिनांक 19.04.2017 के बाद शेष अग्रिम विवेचना क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स होशंगाबाद के वरिष्ठ अधिकारी सहायक वन संरक्षक संदेश माहेश्वरी द्वारा की गयी। इस संबंध में प्र0पी0 25 का वह पत्र भी कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी म0प्र0 का प्रस्तुत किया गया है, जिसमें राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स के संचालन संबंधित पुनरीक्षित दिशा निर्देश पूर्व में जारी किये गये थे। जिसके अनुरूप टाईगर स्ट्राईक फोर्स को वन्य प्राणी संरक्षण से संबंधित अपराधों में और अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिये गठित किया गया था।

43. साक्षी संदेश माहेश्वरी (परि0सा0 क0 2) सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स होशंगाबाद ने अपने कथन में बताया है कि उन्होने पंजीबद्ध वन अपराध में जांच को आगे बढ़ाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास प्रारंभ किया

और दिनांक 20.04.2017 को परतवाड़ा महाराष्ट्र से आरोपी बस्तीराम और गुलाब को प्र0पी0 28 और 29 से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी पत्रक उनके समक्ष उनके सहयोगी डिप्टी रेंजर एन0एस0चौहान ने बनाये थे। गिरफ्तारी की कार्यवाही उनके निर्देशन में हुई थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें बैतूल लाये जाने से पूर्व उनके परिजनों को सूचना दी थी। जिसका पंचनामा प्र0पी0 30 उन्होनें स्वयं बनाया था। जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर है। आरोपियों को बैतूल लाने से पूर्व महाराष्ट्र की स्थानीय पुलिस को सूचना दी गयी थी, जिसका पत्र प्र0पी0 31 है, जिस पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर है और बी से बी भाग पर थाना परतवाडा के थानेदार के हस्ताक्षर है। साक्षी एन0एस0चौहान (परि0सा0 क्र0 3) उप वन क्षेत्रपाल क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स होशंगाबाद ने इस तथ्य की पुष्टि की कि उसने दिनांक 20.04.2017 को जांच के दौरान मुकेश द्विवेदी एवं प्रदीप यादव के सामने ग्राम परतवाड़ा महाराष्ट्र से आरोपी बस्तीराम और गुलाब को प्र0पी0 28 एवं 29 से गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी पंचनामा बनाया था, जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इस साक्षी ने इस बात की भी तस्दीक की है, उसके गिरफ्तारी करने के स्थान का नक्शा प्र0पी0 17 भी तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तब इन साक्षियों के कथन से यह तथ्य पुष्ट होता है कि दिनांक 20.04. 2017 को आरोपी बस्तीराम और गुलाब के महाराष्ट्र राज्य के ग्राम परतवाड़ा से गिरफ्तार किया।

44. साक्षी संदेश माहेश्वरी (परि0सा0 क्र0 2) सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स होशंगाबाद ने अपने कथन में बताया है कि उसने जांच के दौरान आरोपी बस्तीराम से साक्षी मुकेश और अभिषेक उपाध्याय की उपस्थिति में पूछताछ कर उसका कथन प्र0पी0 32 उसके बताये अनुसार लेख किया था। तब बस्तीराम ने उसे बताया था कि उसके पास बिना लायसेंस की भरमार बंदूक थी, मांस खाने के उद्देश्य से वह और सुखचंद उर्फ गुड्डू, दीपचंद उर्फ छोटू एवं सुभाष, गुलाब सिह शिकार के लिये जंगल गये थे। बस्तीराम ने यह भी बताया कि सभी लोगों ने यह तय किया था कि जंगल में शिकार करना है, तब वह लोग जटाशंकर नाले में बूचाआम पानी के डबरे नामक स्थान पर पहुंचे। उक्त स्थान पर वन्य प्राणी पानी पीने को अक्सर आते थे। मौके पर इन लोगों ने शिकार करने के लिये पारछे बनाये थे, गुलाब सिंह और बस्तीराम एक पारछे पर छिपकर बैठे तथा दूसरे पारछे पर सुखचंद उर्फ गुड्डू दीपचंद और सुभाष बैठे थे। थोड़ी देर बाद जंगली जानवर के पानी पीने की आवाज आयी तब आरोपी सुखचंद उर्फ गुड्डू ने बंदूक से फायर किया तो शेर के दहाड़ने और गोली लगने की आवाज आयी तब वह लोग डरकर भागे तथा जिस शेर को गोली लगी वह पहाड़ चढ़कर भागने लगा। आरोपी ने कथन में यह भी बताया कि उसने और गुलाब ने शेर पर अपनी अपनी बंदूकों से फायर किये थे। उसके बाद वह लोग नाले में छिपकर बैठ गये। रात भर वहीं रहे। सुबह गांव की तरफ वापस आ रहे थे, तब रास्ते में सेदीलाल मिला, जिससे उनकी बातचीत हुई थी। आरोपी बस्तीराम ने कथन में यह भी बताया कि बंदूक कुम्हारटेक राठीपुर मार्ग के कच्चे रास्ते के नाले में झाड़ियों मे पत्तो से ढककर छिपा दी है। बस्तीराम ने यह भी बताया था कि गुलाब सिंह ने उससे

कहा था कि उसने बंदूक उसके भाई के खेत के भट्टे में छिपायी हैं। तब प्र0पी0 32 और 33 में जो जानकारी आरोपी बस्तीराम ने साक्षियों के समक्ष स्वेच्छया दी तब उसके द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर उसे साथ ले जाकर उसके बताये स्थान से जब बस्तीराम ने कुम्हारटेक बोरी मार्ग राठीपुर स्थित देवकी बाई के खेत के पीछे बोरहाट नाले में झाड़ी में पत्तों मे से निकालकर एक नाली भरमार बंदूक निकालकर पेश की जिसे डिप्टी रेंजर नरेन्द्र सिंह चौहान ने प्र0पी0 34 से जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया था। इस तथ्य की पुष्टि वन परिक्षेत्र सहायक गजानंद कोड़ापे (परि0सा0 क0 1), एन0एस0चौहान (परि0सा0 क0 3), वनरक्षक दुर्गेश कुशराम (परि0सा0 क0 11) वनरक्षक अभिषेक उपाध्याय (परि0सा0 क0 13) के कथन से होती है।

45. साक्षी एन0एस0चौहान उप वन क्षेत्रपाल क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स (परि0सा0 क0 3) ने मुख्य परीक्षण की कंडिका 6 में बताया है, कि बस्तीराम की सूचना के अनुसरण में ग्राम कुम्हारटेक जाकर आरोपी ने देवकी बाई पत्नि मुशीलाल के खेत में छिपाकर रखी एक भरमार बंदूक निकालकर पेश की थी जिसे प्र0पी0 34 के जप्ती पंचनामे से उसने जप्त किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इस साक्षी का कहना है कि उसने जप्ती के बाद बंदूक को मौके पर सीलबंद किया था। सील छाप पंचनामें पर बी से बी भाग पर चस्पा की थी और जप्ती की कार्यवाही के बाद जप्ती स्थल का पंचनामा प्र0पी0 21 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा जप्ती स्थल का मानचित्र प्र0पी0 79 तैयार किया था जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तब प्र0पी0 32, 33, 34, 21, 79 के प्रपत्रों का सूक्ष्मता से अवलोकन करने पर ये पाया जाता है कि वन अधिकारियों ने स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष आरोपी बस्तीराम द्वारा स्वेच्छया दी गयी जानकारी को उसी के शब्दों में बयान के रूप में लेखबद्ध किया और फिर उसके द्वारा बंदूक छिपाये जाने के स्थान पर उसे साथ ले जाकर उसके पेश करने पर एक नाली भरमार बंदूक को जप्त बरामद किया। जप्ती स्थल का नक्शा मौका जी0पी0एस0 रीडिंग के साथ तैयार किया गया तब विवेचक एवं अनुसंधान अधिकारी की कार्यवाही पर किसी प्रकार का संदेह किये जाने का कोई कारण शेष नहीं रह जाता।

46. साक्षी संदेश माहेश्वरी (परि0सा0 क0 2) सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स होशंगाबाद ने अपने कथन में आगे बताया है कि उसने जांच के दौरान आरोपी गुलाब से साक्षी मुकेश और अभिषेक उपाध्याय की उपस्थिति में पूछताछ कर उसका कथन प्र0पी0 35 उसके बताये अनुसार लेख किया था। तब कथन में आरोपी गुलाब सिंह ने उसे बताया था कि दिनांक 04.04.2017 को उसने और बस्तीराम ने जंगल में शिकार करने की योजना बनायी थी, दोनों के पास एक एक भरमार बंदूक थी रास्ते में उन्हें जंगल के किनारे सुखचंद उर्फ गुड्डू, दीपचंद उर्फ छोटू एवं सुभाष, भी मिल गये थे। आरोपी गुलाब ने कथन में यह भी बताया था कि सुखचंद उर्फ गुड्डू के पास एक भरमार बंदक थी सभी ने मिलकर शिकार करने की योजना बनायी थी तब वह लोग जटाशंकर नाले में बूचाआम पानी के डबरे नामक स्थान पर पहुंचे। उक्त स्थान पर वन्य प्राणी पानी पीने को अक्सर आते थे। मौके पर हम लोगों ने शिकार करने के लिये पारछे बनाये थे, वह और बस्तीराम एक पारछे पर छिपकर बैठे

तथा शेष आरोपीगण दूसरे पारछे पर बैठ गये थे। थोड़ी देर बाद डबरे में किसी जानवर के पानी पीने की आवाज आयी तब आरोपी सुखचंद उर्फ गुड्डू ने बंदूक से फायर किया तो शेर के दहाड़ने और गोली लगने की आवाज आयी हम लोग डरकर भागे तथा जिस शेर को गोली लगी थी वह पहाड़ चढ़कर भागने लगा। आरोपी ने कथन में यह भी बताया कि उसने और बस्तीराम ने शेर पर अपनी अपनी बंदूकों से फायर किये थे। हमारी बंदूकों में टार्च लगी हुई थी, टार्च की रोशनी में शेर पर फायर किया था इसलिए निशाना सही लगा था। गोली शेर को लग गयी थी। उसके पश्चात् हम लोग नाले में छिपकर बैठ गये। रात भर हम लोग वहीं रहे। सुबह गांव की तरफ वापस आ रहे थे, तब रास्ते में सेदीलाल मिला, जिससे उनकी बातचीत हुई थी। आरोपी गुलाब सिंह ने कथन में यह भी बताया कि बंदूक उसने अपने खेत के भट्टे में छिपायी हैं। तब प्र0पी0 35 का कथन लेख किया जिस पर इस साक्षी ने ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है। साक्षी का कहना है कि प्र0पी0 35 में जो जानकारी आरोपी गुलाब सिंह ने साक्षियों के समक्ष स्वेच्छया दी तब उसके द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर उसे साथ ले जाकर उसके बताये स्थान से साक्षी मुकेश एवं अभिषेक के समक्ष आरोपी गुलाब सिंह ने ग्राम कुम्हारटेक में उसके भाई गोकुल के खेत में बने हुए ईंट के भट्टे से मिट्टी के ढेर से निकालकर एक नाली भरमार बंदूक तथा पन्नी में बंधे हुए बंदूक के 5 छर्रे निकालकर दिये थे भरमार बंदूक की कुल लंबाई 122 से0मी0 थी, बैरल की लंबाई 84 से0मी0 थी, आरोपी द्वारा जो छर्रे दिये गये थे उनमें से 5 छर्रे गोल तथा एक लंबा था। इस विवेचक का कहना है कि उसके निर्देशन में डिप्टी रेंजर नरेन्द्र सिंह चौहान ने प्र0पी0 36 से जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया था। जप्ती की कार्यवाही के संबंध में मौका पंचनमा प्र0पी0 20 भी बनाया था। इस साक्षी के कथन और कार्यवाही की पुष्टि वन परिक्षेत्र सहायक गजानंद कोड़ापे (परि0सा0 क0 1), एन0एस0चौहान (परि0सा0 क0 3), वनरक्षक दुर्गेश कुशराम (परि0सा0 क0 11) वनरक्षक अभिषेक उपाध्याय (परि0सा0 क0 13) के कथन से होती है।

47. साक्षी एन0एस0चौहान उप वन क्षेत्रपाल क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स (परि0सा0 क0 3) ने मुख्य परीक्षण की कंडिका 5 में बताया है, कि गुलाब सिंह की सूचना के अनुसरण में ग्राम कुम्हारटेक जाकर आरोपी गुलाब ने अपने भाई गोकुल के खेत पर छिपाकर रखी गई एक भरमार बंदूक और शीशे धातु के 5 छर्रे निकालकर पेश किये थे जिसे प्र0पी0 36 के जप्ती पंचनामे से जप्त किये थे और बंदूक और छर्रो को सीलबंद किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। सील छाप पंचनामें पर बी से बी भाग पर चस्पा की थी और जप्ती की कार्यवाही के बाद जप्ती स्थल का पंचनामा प्र0पी0 20 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा जप्ती स्थल का मानचित्र प्र0पी0 80 तैयार किया था जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तब प्र0पी0 35, 36, 20, 80 के प्रपत्रों का सूक्ष्मता से अवलोकन करने पर ये पाया जाता है, कि वन अधिकारियों ने स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष आरोपी गुलाब सिंह द्वारा स्वेच्छया दी गयी जानकारी को उसी के शब्दों में बयान के रूप में लेखबद्ध की और फिर बंदूक छिपाये जाने के स्थान पर उसे साथ ले जाकर उसके पेश करने

पर एक नाली भरमार बंदूक एवं छर्रो को जप्त कर सीलबंद किया। जप्ती स्थल का नक्शा मौका जी0पी0एस0 रीडिंग के साथ तैयार किया।

48. साक्षी संदेश माहेश्वरी (परि0सा0 क्र0 2) सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स होशंगाबाद ने अपने कथन में आगे बताया है, कि उसने जांच के दौरान आरोपी सुखचंद उर्फ गुड्डू से साक्षी मुकेश और अभिषेक उपाध्याय की उपस्थिति में पूछताछ की थी तब सुखचंद उर्फ गुड्डू ने बताया था कि दिनांक 04.04. 2017 को उसने और दीपचंद उर्फ छोटू तथा सुभाष ने योजना बनाकर शिकार करने के लिये जंगल में गये थे, उसने यह भी बताया था कि उनके पास भरमार बंदूक थी। तब कुम्हारटेक गांव के गुलाब सिंह व बस्तीराम जंगल में मिले थे, उन दोनों के पास भी भरमार बंदूकें थी। तब सभी लोगों ने मिलकर शिकार करने की योजना बनायी तथा सभी पांच व्यक्ति मिलकर जटाशंकर नाला बूचाआम पानी के डबरे के पास पहुचे दो पारछे बनाकर छिपकर बैठकर शिकार का इंतजार करने लगे। गुलाब सिंह और बस्तीराम एक पारछे में बैठे थे, तथा दूसरे पारछे में वह स्वयं तथा दीपचंद एवं सुभाष बैठे थे, रात के समय किसी जंगली जानवर के पानी पीने की आवाज आयी तो उसने भरमार बंदूक से फायर किया तब एक शेर के दहाड़ने की आवाज आयी उसने यह भी बताया कि तभी बस्तीराम और गुलाब सिंह ने भी उनकी बंदूकों से फायर किये थे। फिर वह लोग रात भर नाले में ही छिपकर बैठे रहे, सुबह गांव की तरफ जाने लगा, फिर रास्ते में सेदीलाल आता हुआ दिखा। तब उसकी सेदीलाल से बात हुई थी। इस साक्षी का कहना है कि सुखचंद ने उसे यह भी बताया था कि उसने बंदूक कुम्हारटेक गांव में उसके जीजा शंकर के खेत के टपरे के पास कवेलू के नीचे गढ्ढे में छिपा दी और बंदूक की बट जंगल मे बड़ के पेड़ के पास खोह में छिपाकर रखी है वह बरामद करा देगा। तब उसने इस आरोपी का कथन प्र0पी0 37 उसके बताये अनुसार लेख किया था, जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

49. इस विवेचक ने कथन की कंडिका 8 में बताया है, कि आरोपी सुखचंद उर्फ गुड्डू ने उसे जो सूचना दी उसके अनुसरण में वह आरोपी सुखचंद को कुम्हारटेक स्थित उसके जीजा शंकर के खेत पर लेकर गया, तब उसके साथ डिप्टी रेंजर नरेन्द्र सिंह चौहान, साक्षी मुकेश और साक्षी अभिषेक भी थे। आरोपी सुखचंद ने खेत के टप्पर के पास कवेलू के नीचे गढ्ढे में छिपाकर रखी भरमार बंदूक बैरल एवं घोड़ा निकालकर दिया था। जो डिप्टी रेंजर नरेन्द्र सिंह चौहान ने जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी0 38 बनाया था। मौके पर जप्ती स्थल का पृथक से पंचनामा भी प्र0पी0 22 का तैयार किया था।

50. इस विवेचक ने कथन की कंडिका 9 में बताया है कि वह दिनांक 25.04. 2017 को आरोपी सुखचंद उर्फ गुड्डू को घटना स्थल पर लेकर गया था तब उसके साथ डिप्टी रेंजर तथा वन अमले के लोग भी थे। तब आरोपी ने शेर के शिकार करने के संबंध में विस्तार से घटना बतायी थी, तब उसने मौके की वीडियोग्राफी करायी थी डिप्टी रेंजर नरेंद्र सिंह चौहान ने प्र0पी0 39 का मौके का पंचनामा बनाया था जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इस विवेचक ने यह भी बताया कि उसी दिन शाम 6.25 बजे आरोपी सुखचंद के घर के परिसर की तलाशी ली थी। तलाशी के

पहले उन लोगों ने स्वयं की तलाशी दी थी। आरोपी के घर के पीछे मंडे में छिपाकर रखे फटाखे के 10 खाली खोके एवं कागज में लिपटी हुई बारूद प्राप्त हुई थी, जिसका पंचनामा नरेन्द्र सिंह चौहान डिप्टी रेंजर ने उसके निर्देशन में प्र0पी0 40 का बनाया और और प्र0पी0 40 से पटाखे के खोके और बारूद को जप्त किया था। इस साक्षी के कथन और की गई कार्यवाही की संपुष्टि वन परिक्षेत्र सहायक गजानंद कोड़ापे (परि0सा0 क0 1), डिप्टी रेंजर एन0एस0चौहान (परि0सा0 क0 3), वनरक्षक दुर्गेश कुशराम (परि0सा0 क0 11) वनरक्षक अभिषेक उपाध्याय (परि0सा0 क0 13) के कथन से होती है।

51. साक्षी एन0एस0चौहान उप वन क्षेत्रपाल क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स (परि0सा0 क0 3) ने मुख्य परीक्षण की कंडिका 7 में बताया है, कि उसने दिनांक 23.04.2017 को आरोपी सुखचंद उर्फ गुड्डू की निशादेही एवं पेश करने पर उसके जीजा शंकर के खेत स्थित कुम्हारटेक मे जाकर साक्षी मुकेश और अभिषेक की उपस्थिति में आरोपी ने जमीन से खोदकर निकालकर भरमार बंदूक की बैरल और घोड़ा एकनाली दिया था, जिसे उसने प्र0पी0 38 से जप्त किया था, जप्ती उपरांत उसने बंदूक को सीलबंद किया था। सील की छाप प्र0पी0 38 पर बी से बी भाग पर उसने अंकित की थी, जप्ती की कार्यवाही का पंचनामा बनाया था, प्र0पी0 22 के पंचनामे पर उसके सी से सी भाग पर हस्ताक्षर है। इस साक्षी ने कथन की कंडिका 8 में यह भी बताया कि वह आरोपी सुखचंद को वन कक्ष क0ं 453 राठीपुर स्थित जटाशंकर नाला बूचाआम लेकर गया था, तब आरोपी ने उसे वन्य प्राणी शेर के शिकार का स्थान एवं मचान वाला स्थान बताया था, तब भी सुखचंद ने यह बताया था कि उसने उसके साथी छोटू उर्फ दीपचंद एवं सुभाष के साथ मिलकर घटना दिनांक को भरमार बंदूक से फायर कर शेर का शिकार किया था। बस्तीराम एवं गुलाब ने शिकार में उनकी मदद की थी। सुखचंद ने यह भी बताया था कि उसने बस्तीराम तथा गुलाब ने बंदूक से शेर को गोली मारी थी, गोली शेर को लग गयी थी, शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा था तो वह लोग डरकर जंगल में भाग गये थे। सुखचंद ने यह भी बताया था कि वह, गुलाब, बस्तीराम छिपते छिपाते कुम्हारटेक पहुंचे थे तब उन्हे सेदीलाल मिला था। इस साक्षी का कहना है कि उसने प्र0पी0 39 का पंचनामा बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इस साक्षी का कहना है कि उसी दिन आरोपी सुखचंद उसे उसके घर कुम्हारटेक लेकर गया था। तब उसके घर के पीछे आंगन में मढ़े स्थान की तलाशी ली तो खाली फटाखे के खोके और बारूद 7 ग्राम के लगभग पन्नी में लपटी मिली थी, जिसे उसने मौके पर जप्त किया था और जप्ती पंचनामा प्र0पी0 41 बनाया था जिस पर उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर है। जप्त खोके और बारूद को सीलबंद किया था, सील की छाप जप्ती पत्रक पर अंकित की थी, तलाशी पंचनामा बनाया था जिस पर उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर हैं। तब प्र0पी0 37, 38, 39, 40, 41, 22 के प्रपत्रों का सूक्ष्मता से अवलोकन करने पर ये पाया जाता है, कि वन अधिकारियों ने स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष आरोपी सुखचंद उर्फ गुड्डू द्वारा स्वेच्छया दी गयी जानकारी को उसी के शब्दों में बयान के रूप में लेखबद्ध की और फिर उसे घटना स्थल पर ले जाकर घटना के बारे में उसके द्वारा दी गयी विस्तृत जानकारी की विडियोग्राफी

करायी गयी और फिर उसके द्वारा छिपायी गयी बंदूक को उसके बताये स्थान पर ले जाकर जप्त बरामद की और विधि अनुसार उसके घर पर जाकर स्वयं की तलाशी देते हुए जब उसके घर की तलाशी ली तो पटाखे के खाली खोके और बारूद लगभग 7 ग्राम जप्त की जिन्हे मौके पर ही साक्षियों के समक्ष सीलबंद किया था।

52. साक्षी सुदेश महिवाल (परि0सा0 क0 12) उप वन मंडलाधिकारी सारणी ने अपने कथन में बताया है, कि दिनांक 13.04.2017 को उसने साक्षी सेदीलाल एवं सुंदरलाल का कथन लेख किया था, वह कथन उनके निर्देशन में टंकित किया गया था जो प्र0पी0 94 एवं 87 है जिसके बी से बी एवं सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इस साक्षी का यह भी कहना है कि वह जब दिनांक 13.04.2017 को वन परिक्षेत्र कार्यालय बैतूल में जांच के प्रयोजन से पहुंचा था, तब साक्षी सेदीलाल और सुंदरलाल के सामने उसने आरोपी सुभाष, सुखचंद उर्फ गुड्डू एवं दीपचंद उर्फ छोटू के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये थे। सबसे पहले उसने आरोपी सुभाष के कथन लेख किये थे।

53. इस साक्षी का कहना है कि आरोपी सुभाष ने प्र0पी0 88 में यह बताया था, कि दिनांक 04.04.2017 को शाम 7 बजे उसे आरोपी गुड्डू उर्फ सुखचंद एवं छोटू उर्फ दीपचंद जंगल के पास मिले थे, तब आरोपी सुभाष ने बताया था कि उन दोनों ने उससे कहा कि चलो जंगल में शिकार करके आते है। आरोपी सुभाष ने यह भी बताया था कि वह शराब पीकर उनके साथ जंगल में चला गया था। तब रास्ते में उन्हे बस्तीराम और गुलाब भी मिल गये थे, फिर वह सभी लोग राठीपुर जटाशंकर नाले के पास शिकार करने के लिये पहुंचे थे। आरोपी सुभाष ने यह भी बताया था, कि आरोपी सुखचंद और बस्तीराम के पास एक बंदूक थी। सुभाष ने यह भी बताया था, कि रात के समय वह छिपकर बैठ गये थे, जब रात में जंगली जानवर के पानी पीने की आवाज आयी तब आरोपी गुड्डू उर्फ सुखचंद ने सांभर या जंगली सुअर समझकर बंदूक से गोली चला दी थी। शेर के दहाडने की आवाज आयी जिसे सुनकर वह लोग डरकर छिप गये थे, सुभाष ने यह भी बताया था कि वह लोग रात में जंगल में छिपे रहे थे, सुबह दिन निकलने के बाद गांव आये थे, सुभाष ने यह भी बताया कि गांव में सेदी लाल मिला था, तो उसे सुखचंद ने छुमा दिया था। सुभाष ने यह भी बताया कि उसने गांव में आकर अपने भाई सुंदर को यह बताया था, कि उन्होने शेर को गोली मार दी। आरोपी सुभाष का ये बयान उसके बताये अनुसार लेख किया गया। टंकित किये जाने उसे पढकर सुनाया गया जो प्र0पी0 88 है, जिसके बी से बी भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है, और इस कथन पर सुभाष का निशानी अंगूठा भी चस्पा है। इसी प्रकार आरोपी सुखचंद उर्फ गुड्डू ने प्र0पी0 89 का कथन दिया। इसी प्रकार आरोपी दीपचंद उर्फ छोटू ने प्र0पी0 90 का कथन दिया। प्र0पी 89 एवं 90 पर बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है, एवं सी से सी भाग पर आरोपीगण के हस्ताक्षर है।

54. इस साक्षी ने अपने कथन की कंडिका 7 में बताया है, कि उसने जांच के उपरांत यह पाया था कि आरोपी गुड्डू उर्फ सुखचंद, सुभाष एवं दीपचंद, गुलाब और बस्तीराम ने मिलकर 4 एवं 5 अप्रैल 2017 की मध्य रात्रि को बूचाआम जटाशंकर नाला पी0एफ0 453 में एकराय होकर भरमार बंदूक से फायर कर वन्य प्राणी शेर का

शिकार किया था। तब इस साक्षी के कथन से यह तथ्य पुष्ट होता है, कि इस साक्षी ने भी जांच के दौरान दिनांक 13.04.2017 को परिक्षेत्र कार्यालय बैतूल में शिकार की घटना में संलिप्त तीन आरोपी सुभाष, सुखचंद उर्फ गुड्डू दीपचंद उर्फ छोटू से इस वन अधिकारी ने पूछताछ कर उनके कथन प्र0पी0 88, 89, 90 लेख किये, और साक्षी सेदीलाल और सुंदरलाल के कथन प्र0पी0 94, 87 भी लेख किये। इस प्रकार हर स्तर पर वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने शिकार की घटना के संबंध में पता साजी करने के लिये प्रभावी ढंग से जांच पड़ताल करते हुए पूछताछ की है और उसको लेखबद्ध किया है।

55. साक्षी परिक्षेत्र सहायक गजानंद कोड़ापे (परि0सा0 क्र0 1) ने अपने कथन की कंडिका 22 में बताया है कि उसने घटना स्थल संरक्षित वन क्षेत्र का नक्शा प्राप्त कर उसको प्रमाणित कर प्रकरण में पेश किया है, जो प्र0पी0 23 है, जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इस साक्षी का यह भी कहना है, कि क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स के सहायक वन संरक्षक ने संदेश माहेश्वरी ने पूछताछ कर उसके कथन भी लेख किये थे, जो प्र0पी0 24 है, जिस पर उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर है। तब इस साक्षी के प्र0पी0 24 के कथन का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि इस साक्षी ने घटना की सूचना मिलने के बाद जो भी कार्यवाही एवं घटना के तथ्यों की पतासाजी मौके पर जाकर साक्षियों के समक्ष की उसको अपने कथन से पुष्ट एवं प्रमाणित किया है। इस साक्षी ने जप्त शुदा आर्टिकल 3 भरमार बंदूक जिनको आर्टिकल ए बी सी से चिन्हित किया गया है, तथा घटना स्थल के पास से जप्त बैटरी स्टेंड आर्टिकल डी एवं घटना स्थल से जप्त कपड़े की चिंदी आर्टिकल इ तथा एफ को देखकर बताया कि यही सामग्री जप्त की गयी थी। जो सीलबंद अवस्था में थी जिसे खोलकर साक्षी को दिखायी गयी।

56. साक्षी सहायक वन संरक्षक संदेश माहेश्वरी (परि0सा0 क्र0 2) ने अपने कथन में बताया है कि उसने दिनांक 26.04.2017 को साक्षी सेदीलाल, साक्षी सुंदरलाल, साक्षी झनक पटेल, साक्षी दसरू के कथन उनके बताये अनुसार आरोपीगण की उपस्थिति में लेख किये थे, जो प्र0पी0 42 लगायत 45 है। इस साक्षी का कहना है कि उसने आरोपी गुलाब सिंह, बस्तीराम, सुखचंद उर्फ गुड्डू के कथन साक्षियों के समक्ष प्र0पी0 46, 47, 48 लेख किये थे, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। इस तथ्य की पुष्टि साक्षी अभिषेक उपाध्याय वन रक्षक (परि0सा0 क्र0 13) के कथन से होती है।

57. इस साक्षी का कहना है कि उसने जांच के दौरान नरेन्द्र सिंह चौहान, मुकेश कुमार, अभिषेक उपाध्याय, प्रदीप उपाध्याय, रामसिंह, दुर्गेश कुशराम के कथन क्रमशः प्र0पी0 49, 50, 51, 52, 53, 54 के लेख किये थे, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है, और डिप्टी रेंजर गजानंद कोडापे के प्र0पी0 24 के कथन लेख किये थे जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इस साक्षी ने यह भी बताया कि उसने जांच के दौरान आरोपीगण की शिनाख्त साक्षी सेदीलाल और सुंदलाल से करवायी थी तब इन साक्षियों ने आरोपीगण के फोटोग्राफ देकर उन्हे सही पहचानता था। जिसका पहचान पंचनामा प्र0पी0 55 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

58. साक्षी सहायक वन संरक्षक संदेश माहेश्वरी (परि0सा0 क्र0 2) ने अपने कथन की कंडिका 16 में बताया है कि उसने प्रकरण में जप्त शुदा बंदूकें, छर्रे पी0एम0 के उपरांत बाघ के शरीर से निकली हुई गोली/छर्रे, पटाखे के दस खाली खोखे एक नग पत्थर, कपड़े की चिंदी को जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला सागर को पत्र प्र0पी0 56 एवं सूची प्र0पी0 57 के साथ परीक्षण को भेजा था। माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा करने की पावती प्र0पी0 58 है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला सागर की वैज्ञानिक परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0 59 है, रिपोर्ट के अनुसार बाघ के शरीर से मिले हुए छर्रे जप्त शुदा बंदूक आर्टिकल ए1, ए2 से होना लेख है, तथा परीक्षण में बंदूकों से फायर किये जाने का उल्लेख है। तब इस साक्षी ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला सागर की वैज्ञानिक परीक्षण रिपोर्ट को भी अपने कथन से पुष्ट एवं प्रमाणित किया है। परीक्षण रिपोर्ट पर विस्तार से विचार आगे किया जावेगा।

59. साक्षी सहायक वन संरक्षक संदेश माहेश्वरी (परि0सा0 क्र0 2) ने अपने कथन की कंडिका 17 में बताया है, कि उसने जांच के दौरान साक्षी सेदीलाल और सुंदरलाल के कथन द0प्र0स0 की धारा 164 के अंतर्गत न्यायालय में पेश कर करवाये थे, जो प्र0पी0 60 और 61 है, जो प्रकरण में संलग्न है। मृत बाघ का पी0एम0 वन विहार भोपाल में चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा किया गया था जिसकी पी0एम0 रिपोर्ट 62 प्राप्त हुई थी जो प्रकरण में संलग्न हैं, पी0एम0 के दौरान शेर के शरीर से बंदूक के दो छर्रे निकाले गये थे जो वन विहार भोपाल द्वारा उसे सौंपे गये थे, वन विहार का पत्र प्र0पी0 63 है, तथा सुपुर्दनामा प्र0पी0 64 है तथा सूची प्र0पी0 65 है, सुपुर्दनामा प्र0पी0 64 पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इस साक्षी ने यह भी बताया है कि पी0एम0 के दौरान मृत बाघ/शेर के टिश्यू सुरक्षित कर रखे गये थे, जो वन विहार भोपाल द्वारा प्र0पी0 66 से उसे दिये गये थे, इस साक्षी का कहना है कि उसने प्रकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को दी थी जो प्र0पी0 67 है। इस साक्षी का यह भी कहना है कि उसने मौके से जप्त शुदा वन्य प्राणी के बाल, खून आलूदा पत्थर, झाड़ियों के अवशेष तथा पी0एम0 के दौरान बाघ के शरीर से निकालकर दिये गये टिश्यू जांच हेतु फारेंसिक लेबोरेटरी को प्र0पी0 68 लगायत 68ए, 68बी, 68सी, 68डी के माध्यम से भेजे थे, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इस साक्षी का यह भी कहना है, कि उसे सी0सी0एम0बी0 की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसके अनुसार टिश्यू एवं मौके पर जप्त बाल एवं खून के निशान नर बाघ के ही होना पाये थे। संरक्षित कक्ष क्रं0 453 का नोटिफिकेशन प्र0पी0 70, 71 है, जो उसने प्रकरण में पेश किया हैं। इन दस्तावेजों का खंडन न होने से यह अखंडनीय साक्ष्य के रूप में अभिलेख पर मौजूद हैं।

60. इस साक्षी का कहना है, कि उसने आरोपीगण के फोटो की शिनाख्तगी के पंचनामे प्र0पी0 72 लगायत 74 बनाये थे, जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। वन विहार भोपाल में पी0एम0 के दौरान लिये गये फोटोग्राफ एवं फारेंसिक रिपोर्ट से संबंधित फोटोग्राफ की फाइल प्र0पी0 75 है, जिसमें बाघ के शरीर में पाये गये गोली लगने के सुराग/निशान तथा घाव विभिन्न एंगल से लिये गये फोटोग्राफ संलग्न है। साथ ही शरीर में पायी गयी गोलियों के फोटोग्राफ संलग्न है। पोस्ट मार्टम

की वीडियोग्राफी की गयी थी, जिसकी सी.डी.एवं पेन ड्राईव संलग्न है। इसी प्रकार घटना स्थल की वीडियोग्राफी भी आरोपी सुखचन्द्र की निशानदेही पर से तैयार की गई थी, जिसकी सी0डी0 एवं पेन ड्राईव संलग्न है, जो **आर्टिकल जी, एफ** है। इस साक्षी का कहना है कि प्रकरण में जप्त शुदा आर्टिकल जो न्यायालय में पेश किया गया है, वह जप्तशुदा बंदूके **आर्टिकल ए, बी एवं सी** है। बैटरी स्टेंड **आर्टिकल डी** है तथा जप्त शुदा कपड़े की चिंदी **आर्टिकल ई, एफ** है। इस साक्षी का कहना है कि ये सभी आर्टिकल जांच के दौरान आरोपीगण से एवं मौके से जप्त किये गये थे। साक्षी ने **आर्टिकल आई** को देखकर बताया कि पोस्ट मार्टम के दौरान शेर के शरीर से निकला हुआ छर्रा है, इसी प्रकार सीलबंद लिफाफे को खोलकर दिखाये जाने पर साक्षी ने बताया कि आरोपी गुलाब सिंह जप्त छर्रे कुल पांच नग है, जो आर्टिकल जे1 लगायत जे5 है। इसी प्रकार आरोपी सुखचंद के घर से प्राप्त बारूद तथा फटाखे के खोल **आर्टिकल एच** है, एवं बाघ के शरीर से प्राप्त दूसरा छर्रा और जप्त शुदा दो पत्थर सफेद रंग के कपड़े में लपटे हुए जिन पर बारूद के चिन्ह है **आर्टिकल एल** है। तब साक्षी गजानंद कोड़ापे के कथन मे आये तथ्यो से इस साक्षी के द्वारा की गयी संपूर्ण जांच कार्यवाही की संपुष्टि होती है। इस साक्षी ने अपने कथन की कंडिका 20 में बताया है, कि उसने संपूर्ण जांच के बाद ये पाया था, कि आरोपीगण ने ही घटना दिनांक को वन कक्ष क्रं0 453 वन परिक्षेत्र बैतूल में दिनांक 04.04.2017 की रात में भरमार बंदूकों से वन्य प्राणी बाघ को गोली मारकर उसका शिकार किया।

61. साक्षी सुन्दरलाल (परि0सा0 क्र0 8) ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है, कि आरोपी बस्तीराम गुलाब, को नहीं जानता। उनसे उसकी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। उसने आरोपी बस्तीराम, गुलाब एवं गुड्डू को खेत की तरफ जाते हुये नहीं देखा। उसने आरोपीगण के हाथ में कोई हथियार भी नहीं देखा। उसे आरोपी सुभाष ने आकर कोई जानकारी नहीं दी। वन विभाग वालों ने भी उससे कोई पूछताछ नहीं की। यह साक्षी मुख्य परीक्षण की कंडिका–1 में कहता है कि प्र.पी.8 के कथन पर केवल उसका अंगूठा निशानी कराया था। साक्षी बताता है कि वन विभाग वालों ने उससे आरोपीगण की फोटो दिखाकर पहचान करवायी थी। उसने वन विभाग वालों कोा कुछ नहीं बताया। प्र.पी.86 का पंचनामा उसके सामने नहीं बनाया। उसने वन विभाग को दोबारा विस्तृत कथन प्र.पी.87 का लेख नहीं कराया। फिर कहता है प्र.पी.87 का कथन मैंने लेख कराया था। साक्षी यह भी बताता है, कि वन विभाग वालों ने उसके सामने आरोपी सुभाष, सुखचन्द्र उर्फ गुड्डू एवं दीपचन्द्र उर्फ छोटू के कथन लेख नहीं किये थे। कथन प्र.पी.88 लगायत 90 पर उसके निशानी अंगूठे हैं। साक्षी कहता है, कि उसने न्यायालय में प्र.पी.61 का कोई कथन नहीं दिया था। उसने बस्तीराम एवं गुलाब की पहचान फोटो देखकर नहीं की थी। प्र.पी.55 का पंचनामा भी उसने सामने नहीं बनाया था। दिनांक 26.04.2017 को वन विभाग वालों ने तीसरी वाला प्र.पी.43 का कथन लेख नहीं किया था, लेकिन उस पर उसका निशानी अंगूठा है। तब इस साक्षी ने मुख्य परीक्षण में आरोपीगण को पहचानने से इंकार करते हुये अभियोजन की संपूर्ण कार्यवाही से इंकार किया है,केवल अपने निशानी अंगूठे कार्यवाही के प्रपत्रों पर होना स्वीकार किया है।

62. इस साक्षी को अभियोजन ने पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे तो इस साक्षी ने सभी तथ्यों से इंकार करते हुये बताया है, कि धारा–164 दंप्रसं. के कथन के समय उसने न्यायालय को यह नहीं बताया था, कि वन विभाग वाले उसे दबाव देकर कथन कराने लाये हैं। इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी सुखचन्द्र उसका मामा है। इस साक्षी पर बचाव पक्ष ने भी प्रतिपरीक्षण किया है तो इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह भी स्वीकार किया है कि फारेस्ट वालों ने जितने भी कागजों में अंगूठा लगवाया है, उसमें क्या लिखा उसे पढ़कर नहीं बताया। दबाव डालकर अंगूठा लगवाया था, लेकिन इस साक्षी के कथन में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया कि वन विभाग वालों ने उसे किस प्रकार से प्रताड़ित किया या उस पर किस प्रकार का दबाव न्यायालय में बयान देने के लिये बनाया। तब जबकि, यह साक्षी स्वयं मुख्य परीक्षण में यह बताता है कि प्र.पी.8, 87 एवं 88 लगायत 90 एवं 43 पर उसके निशानी अंगूठे हैं। तब इन प्रपत्रों पर इस साक्षी से दबाव डालकर निशानी अंगूठा लिये जाने का तथ्य खंडित नहीं होता है। इस साक्षी के कथन में ऐसा भी कोई तथ्य नहीं आया है, कि उसकी वन विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों से पूर्व से कोई रंजिश चली आ रही थी। तब इस साक्षी पर वन विभाग के अधिकारियों ने किसी भी प्रकार का अनुचित दबाव बनाया यह तथ्य कतई पुष्ट नहीं। यदि ऐसा होता तो यह साक्षी न्यायालय में कथन करने नहीं जाता या कथन करते समय इस तथ्य को अवश्यक प्रकट करता। तब निश्चित रूप से यह साक्षी तथ्यों को एवं कार्यवाही को लेकर आरोपीगण को बचाने के लिये सत्य कथन करने से बच रहा है। तब इस साक्षी के पक्षविरोधी हो जाने से अभियोजन की कार्यवाही खंडित नहीं होती।

63. इस महत्वपूर्ण साक्षी सुन्दर को अनुसंधान के दौरान वन अधिकारियों ने न्यायालय के समक्ष जब पेश किया है। इस साक्षी ने न्यायालय के द्वारा पूछे जाने पर कि क्या वह घटना के संबंध में कोई कथन लेखबद्ध कराना चाहता है, तो इस साक्षी ने समझकर न्यायालय में यह बतलाया है, कि वह स्वेच्छया पूर्वक बिना किसी भय, दबाव एवं डर के कथन करना चाहता है। तब इस साक्षी का न्यायालय द्वारा कथन दिनांक 17.04.2017 को लिया गया है, जो शब्दशः इस प्रकार है '' मैं पिछले मंगलवार को अपने गॉव कुम्हारटेक से बाजार करने किला खंडारा गया था। शाम को करीब 5 बजे जब मैं घर वापस आया तो मैंने पहले मेरी बकरी बांधी और घर के बाहर निकले। तब मैंने देखा कि बस्तीराम और गुलाब सुखचंद के खेत तरफ बंदूक लेकर जा रहे थे। उसके बाद मैं घर जाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह सुभाष आया और उसने मुझे बताया कि हमने शेर को गोली मार दी तब मैंने पूछा कि तुम कौन–कौन थे तब मुझे सुभाष ने बताया कि उसके साथ बस्तीराम और गुलाब थे, जिन्होंने मिलकर शेर को मारा'' । तब यह साक्षी जान–बूझकर मुख्य परीक्षण की कंडिका–3 में इस तथ्य को लेकर सरासर झूठ कथन करता है कि उसने न्यायालय में प्र.पी.61 का कोई कथन नहीं दिया था। इससे साफ ज़ाहिर है, कि यह साक्षी अनुसंधान कार्यवाही को खंडित करने के आशय से एवं आरोपीगण को बचाने की नीयत से सत्य कथन करने से बच रहा है। तब इस साक्षी के पक्षविरोधी घोषित हो जाने से अभियोजन की कहानी/

कार्यवाही किसी प्रकार से खंडित नहीं होती।

64. साक्षी सैदीलाल (परि0सा0 क0 10) का कहना है,कि वह सभी आरोपीगण को जानता है, वह उसके गॉव बस्ती के रहने वाले हैं, वह स्वयं ग्राम कुम्हारटेक का रहने वाला है। यह साक्षी कहता है, कि घटना लगभग 5–6 माह पहले की है। उसने आरोपी सुखचन्द्र, दीपचन्द्र और गुलाब को लकड़ी के गट्ठे लाते नागझिरी नदी के पास देखा था। तब उसने तीनों आरोपीगण से पूछा था कि कहां से आ रहे हो तो उन्होंने कहा कि जंगल से लकड़ी लेकर आ रहे हैं, उनके पास जलाउ लकड़ी थी। साक्षी बताता है कि इसके आठ दिन बाद जब वह खेत पर था, तब वन विभाग वालों ने उसे खेत से उठा लिया था और रेस्ट हाउस डिपो के अंदर वन विभाग वालों ने उससे पूछताछ की थी और कहा था कि सुखचन्द्र,दीपचन्द्र, सुभाष, गुलाब और बस्तीराम के पास क्या देखा था तब उसने बताया कि उसने कुछ नहीं देखा। इस साक्षी का कहना है कि कथन प्र.पी.7 पर बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी का यह भी कहना है कि प्र.पी.15,16 एवं 17 के गिरफ्तारी पत्रक के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। यह साक्षी कहता है कि उसे शिकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इस साक्षी का कहना है कि वन विभाग वालों ने उससे पूछताछ की थी, वह कथन प्र.पी.94 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी का यह भी कहना है कि वन विभाग वालों ने उसके सामने आरोपी सुभाष, सुखचन्द्र एवं दीपचन्द्र के कथन प्र.पी.88 लगायत 90 लेख किये थे, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी कहता है कि उसने न्यायालय में बयान देने का कोई आवेदन नहीं दिया था। प्र.पी.95 के आवदेन पर से उसके न्यायालय ने कोई बयान नहीं लिये थे। साक्षी कहता है, कि 164 के कथन प्र.पी.60 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। वन विभाग वालों ने उससे फोटो की पहचान करवायी थी। पंचनामा प्र.पी.55 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। वन विभाग वालों ने उससे दोबारा पूछताछ की थी, जो कि प्र.पी.42 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

65. साक्षी सैदीलाल (परि0सा0 क0010) ने अपने न्यायालयीन कथन में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर परिवादी पक्ष की कहानी की पुष्टि नहीं की, लेकिन की गई कार्यवाही की संपुष्टि की है। इस साक्षी ने चतुराई पूर्वक कथन करते हुये महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर अपने कथन को बदला है। अर्थात्, जो बातचीत आरोपीगण से इसकी घटना के तत्काल बाद हुई थी और उसने आरोपीगण के पास जो हथियार देखे थे उनको लेकर कोई कथन नहीं किया है। यहां तक कि उसने शिकार के संबंध में कोई जानकारी होने से भी इंकार किया है। तब अभियोजन ने इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे तो इस साक्षी ने मुख्य परीक्षण की कंडिका–2 में यह स्वीकार किया है कि दिनांक 10.04.2017 को वन विभाग वालों को बताया था कि वह सुबह जंगल में जड़ी खोदने जा रहा था तब उसे जंगल की ओर से आ रहे सुखचन्द्र, सुभाष और गुलाब मिले थे, लेकिन इस बात से इंकार किया है, कि उस समय आरोपी गुड्डू उर्फ सुखचन्द्र के पास बंदूक थी। इस बात से भी इंकार किया है कि मंगलवार की रात 8–9 बजे के लगभग उसे जंगल से बंदूक चलने की आवाज आयी थी। इस

प्रकार इस साक्षी ने प्र.पी. 86, 57, 42, 94, 95 एवं 60 की कार्यवाही के संबंध में पूछे जाने पर उससे असहमति जताते हुये इंकार किया है। यहां तक कि इस साक्षी ने कथन की कंडिका–4 एवं 5 में सुझाव देकर पूछे जाने पर इंकार किया है, कि उसने न्यायालय में एक लिखित आवेदन घटना के संबंध में कथन करने हेतु प्र.पी.95 का दिया था और उस पर से वह कोर्ट में कथन करने के लिये उपस्थित हुआ था। इस बात से भी इंकार करता है कि उसने कोर्ट में प्र.पी.60 का कथन दिया था। इस साक्षी पर बचाव पक्ष ने भी प्रतिपरीक्षण किया है तो इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका–6 में बचाव पक्ष के सुझावों को स्वीकार करते हुये अभियोजन की सभी कार्यवाही/ कहानी को खंडित करने का प्रयास किया है। लेकिन इस साक्षी के कथनों में आये तथ्यों से अभियोजन की संपूर्ण कहानी/कार्यवाही और भी अधिक विश्वसनीय और पुष्ट हो जाती है।

66. इस महत्वपूर्ण साक्षी सैदीलाल(परि0सा0 क010) को अनुसंधान के दौरान वन अधिकारियों ने न्यायालय के समक्ष जब पेश किया है। इस साक्षी ने न्यायालय के द्वारा पूछे जाने पर कि क्या वह घटना के संबंध में कोई कथन लेखबद्ध कराना चाहता है, तो इस साक्षी ने समझकर न्यायालय में यह बतलाया है, कि वह स्वेच्छया पूर्वक बिना किसी भय, दबाव एवं डर के कथन करना चाहता है। तब इस साक्षी का न्यायालय द्वारा कथन दिनांक 17.04.2017 को लिया गया है, जो शब्दशः इस प्रकार है '' पिछले बुधवार सुबह करीब 5–6 बजे मैं जंगल दवाई खोदने के लिये गया तो मुझे पॉच लोग आते हुए दिखायी दिये, जिनमें दो लोग झाडी में छिप गये और तीन लोग सामने आये। उन तीन लोगों में सुखचंद, सुभाष और दीपचंद थे, जिनमें से सुखचंद के कंधे पर बंदूक टंगी हुयी थी और दीपचंद व सुभाष के हाथ में कुल्हाड़ी थी। मैंने उन लोगों से पूछा कि रात को तुमने क्या मारा तो उन्होंने कहा कि खरगोश मारा है परन्तु वह भाग गया। मुझे वह इतना बोलकर प्लांटेशन की ओर निकल गये तथा मैं भी दवाई खोदकर अपने खेत तरफ निकल गये'' । तब यह साक्षी भी जान–बूझकर मुख्य परीक्षण की कंडिका–3 में इस तथ्य को लेकर सरासर झूठ कथन करता है, कि उसने न्यायालय में प्र.पी. 60 का कोई कथन नहीं दिया था। इससे साफ ज़ाहिर है, कि यह साक्षी अनुसंधान कार्यवाही को खंडित करने के आशय से एवं आरोपीगण को बचाने की नीयत से सत्य कथन करने से बच रहा है। तब इस साक्षी के पक्षविरोधी घोषित हो जाने से अभियोजन की कहानी/ कार्यवाही किसी प्रकार से खंडित नहीं होती।

67. साक्षी दसरू परि.सा. 05 का कहना है, कि वह आरोपी गुलाब एवं अन्य आरोपीगण को नहीं जानता। वन विभाग वालों ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी, लेकिन प्र.पी.45 के कथन पर उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी को अभियेाजन ने पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे है तो इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है, कि प्र.पी. 45 का कथन लेते समय उसे वन विभाग वालों ने डराया, धमकाया नहीं था और न ही लालच दिया था। यद्यपि, इस साक्षी ने प्र.पी.45 के तथ्यों को लेकर दिये गये सुझावों से इंकार किया है। इस साक्षी से बचाव पक्ष ने प्रतिपरीक्षण किया है तो इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है, कि उसे प्र.पी.45 का कथन पढ़कर नहीं सुनाया था और उसके जबरदस्ती हस्ताक्षर करा लिये थे। इस प्रकार इस साक्षी ने

सहायक वन संरक्षक संदेश माहेश्वरी परि.साक्षी क्रमांक 02 के द्वारा अनुसंधान के दौरान दिनांक 26.04.2017 को लिये गये कथन का समर्थन नहीं किया है।

68. साक्षी झनक परि.सा. 6 का कहना है, कि वह आरोपी बस्तीराम और गुलाब को जानता है, अन्य आरोपीगण को नहीं जानता। वन विभाग वालों ने उससे कोई पूछताछ नहीं की। तब यह साक्षी प्र.पी.44 के कथन से इंकार करता है। इस साक्षी को अभियोजन पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे हैं, तो इस साक्षी ने यह बताया है कि उसके पिता के पास लाईसेंसी एक नाली भरमार बंदूक है। वह बंदूक का बारूद बैतूल से खरीदता है। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है, कि उसके पास दिनांक 26.04.2017 के लगभग दो माह पहले सैजीलाल और बस्तीराम आये थे, तब बस्तीराम ने उससे कहा था कि मुझे कुछ बारूद खरीदना है, तो तुझे बैतूल जाकर दुकानदार से मिलवा दो, तब वह उसके साथ बैतूल गया। बस्तीराम ने दुकानदार से बारूद पैसे देकर खरीद लिया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है बस्तीराम ने बारूद के दो हिस्से किये थे। बड़ा हिस्सा उसने अपने पास थैले में रख लिया थ और छोटा हिस्सा उसने सैजीलाल को रखने के लिये दे दिया था। इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने यह बातें वन विभाग वालों को बयान लेते समय बता दी थी। तब इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में आये इन तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है, कि इस साक्षी ने वन विभाग वालों ने पूछताछ की थी और उसने प्र.पी.44 का कथन दिया था। तब फिर इस साक्षी के द्वारा मुख्य परीक्षण में इस बात से इंकार करना कि वन विभाग वालों ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी, तब निश्चित रूप से यह साक्षी जान–बूझकर न्यायालय के समक्ष बोलने से बच रहा है। इस साक्षी से भी बचाव पक्ष ने प्रतिपरीक्षण किया है। तब यह साक्षी स्वीकार करता है, कि प्र.पी.44 का बयान उसे पढ़कर नहीं सुनाया था। यह भी स्वीकार करता है, कि बयान पर जबरदस्ती अंगूठा लगवाया था। यह भी स्वीकार करता है कि वह बारूद खरीदने बस्तीराम के साथ नहीं गया। तब इस साक्षी के कथन न करने से या पक्षविरोधी हो जाने से अभियोजन की कार्यवाही/कहानी खंडित नहीं होती है।

69. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री डी.एस.ठाकुर एवं श्री मनीष लोखंडे ने बचाव में तर्क रखा है,कि उक्त दोनों साक्षी सुंदरलाल और सैदीलाल संपूर्ण घटना क्रम के महत्वपूर्ण साक्षी हैं, और इन साक्षियों के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर आरोपीगण को घटना से जोड़ा गया है, लेकिन इन साक्षियों ने न तो अपनी आंखो से शिकार की घटना को होते हुये देखी और न ही इन साक्षियों ने न्यायालयीन कथन में इन आरोपियों के बारे में कोई जानकारी वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को देने के तथ्य की संपुष्टि की। साक्षी झनक और दसरू ने भी अभियोजन की कहानी/कार्यवाही का कतई समर्थन नहीं किया है। अभियोजन ने पक्षविरोधी घोषित किया है। तब इन साक्षियों की साक्ष्य का कोई महत्व नहीं है। तब यह कैसे माना जा सकता है, कि आरोपीगण ने घटना के तत्काल बाद न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के रूप में अपराध करने के बारे में इन साक्षियों को बतलाया। शेष अनुसंधान कार्यवाही के प्रपत्रों पर इन साक्षियों से वन विभाग वालों ने दबाव डालकर हस्ताक्षर कराये हैं। ये दोनों साक्षी ग्राम कुम्हारटेक के ही आदिवासी अशिक्षित समुदाय के मजदूर लोग हैं। इन्हें

प्रताड़ित कर मारपीट कर इन्हें गवाह बनाया है। तब अभियोजन की संपूर्ण कहानी/कार्यवाही पुष्ट एवं प्रमाणित नहीं।

70. बचाव पक्ष का यह भी तर्क है, कि जब वन विभाग वालों को वास्तविक अपराधी शिकार करने वाले नहीं मिले तो उन्होंने घटनास्थल के नजदीक के गॉव ग्राम कुम्हारटेक के गरीब आदिवासियों पर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध किया है। साक्षी वनपाल गजानंद कोड़ापे परि.सा. 01, सहायक वन संरक्षक संदेश माहेश्वरी परि.सा. 02 उपवन क्षेत्रपाल एन.एस.चौहान परि.सा.03, साक्षी गणराज परि.सा.09, वनरक्षक दुर्गेश कुशराम परि.सा.11, एस.डी.ओ. सुदेश महीवाल परि.सा.12 एवं वनरक्षक अभिषेक उपाध्याय परि. सा.13 सभी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है, कि विवेचना के दौरान उन्हें आरोपीगण द्वारा बाघ को मारते हुये किसी ने भी देखना नहीं बताया था। तब फिर आरोपीगण ने ही बाघ का घटनास्थल संरक्षित वनकक्ष क्रमांक 453 में नाले में पानी पीते समय शिकार किया और उसे बंदूक से गोली मारी कैसे माना जा सकता है। तब संपूर्ण प्रकरण मात्र ''परिस्थितिजन्य साक्ष्य'' पर आधारित है, लेकिन अभियोजन और परिवादी पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी आरोपीगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित नहीं कर सका है, क्योंकि परिस्थितिजन्य सबूत पुष्ट एवं प्रमाणित नहीं हैं। जो सबूत जुटाये हैं, वह संदेह उत्पन्न करते हैं। अनुसंधान अधिकारियों के प्रतिपरीक्षण में जुटाये गये सबूतों को लेकर कई तथ्य ऐसे आये हैं, जिससे परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ियॉ टूट जाती हैं। तब ऐसी दशा में संदेह के आधार पर आरोपीगण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

71. मैं बचाव पक्ष के इस तर्क से सहमत हूॅ, कि हस्तगत प्रकरण में ऐसी कोई प्रत्यक्ष चक्षुदर्शी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसने आरोपीगण को घटनास्थल पर शिकार करते देखा हो। विशुद्ध रूप से यह प्रकरण ''परिस्थितिजन्य साक्ष्य'' पर आधारित मामला है। कारण कि जब शिकार की घटना जंगल में रात में होती है तब उस समय घटनास्थल पर प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के मौजूद होने की कल्पना नहीं की जा सकती। तब निश्चित रूप से इस प्रकार के अपराधों में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर ही अपराधियों तक या शिकारियों तक पहुॅचा जाता है।

72. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण ने न्यायदृष्टांत **<u>एम.पी.वीकली नोट 2011 (1) नोट नं.63 रमेश विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी.</u>** का हवाला देते हुये तर्क रखा कि समस्त परिस्थितियों को मिलाकर पूर्ण श्रंखला निर्मित होनी चाहिये, यदि ऐसा नहीं होता है तो अभियुक्तगण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। एक अन्य न्यायदृष्टांत **<u>एम.पी.वीकली नोट 1986(1) नोट नं. 69 सुरेशचन्द्र विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी.</u>** का हवाला देते हुये बतलाया कि जब प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध न हो, तब अनिशिचित परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मैं बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांतों में प्रतिपादित विधि सिद्धांतों से पूर्णतः सहमत हूॅ। उक्त न्यायदृष्टांतों में भी माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने **<u>ए.आई.आर.1984 एस.सी.1622 Sharad Birdhichand Sarda Vs State of Maharashtra</u>** में प्रतिपादित विधि सिद्धांतों का संदर्भ लिया हैः—

cardinal Principles regarding the appreciation of circumstantial evidence have been postulated. Whenever the case is based on circumstantial evidence following features are required to be complied with. It would be benefical to repeat the same salient features once again which are as under-

(i) the Circumstance from which the conclusion of guilt is to be drawn 'must or should be' and not merely "may be" fully established;

(ii) the facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused that is to say, they should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty;

(iii) the Circumestances should be of a conclusive nature and tendency;

(iv) they shuld be exclude every possible hypothesis except the one to be proved; and

(v) there must be chain of evedence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused and must show that in all human probability the act must have been done by the accused."

तब हस्तगत प्रकरण में उक्त मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुये ही परिस्थितिजन्य साक्ष्य का सूक्ष्मता से परीक्षण एवं मूल्यांकन किया जा रहा है।

73. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को दृष्टिगत रखते हुये साक्षी सुंदरलाल एवं सैजीलाल के कथनों पर विचार करने पर यह पाया गया कि इन साक्षियों की साक्ष्य को पूर्ण रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यद्यपि, इन साक्षियों ने न्यायालयीन परीक्षण में पक्षविरोधी होकर अभियोजन की कहानी/कार्यवाही का पूर्ण रूप से समर्थन नहीं किया है। इन साक्षियों ने घटना के तथ्यों को लेकर एवं सूचना को लेकर जो भी कथन किया है, उसकी पुष्टि अन्य समर्थन कारी साक्ष्य एवं सबूतों से होती है। तब बचाव पक्ष का यह तर्क कतई मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं । इस संबंध में महत्वपूर्ण न्यायदृष्टांत **अवलोकनीय है–स्टेट ऑफ यू.पी. वि. चेतराम ए.आई.आर.1989 एस.सी. पेज नं. 1545** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत दिया है, कि यदि कोई गवाह पक्षविरोधी घोषित किया गया है तो मात्र इस कारण उसकी पूरी साक्ष्य निरर्थक नहीं हो जाती। इस संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने भी **तूफान सिंह विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी.2005 (1) एम.पी.एल. जे. 412** में यह अभिनिर्धारित किया है कि पक्षविरोधी साक्षी की साक्ष्य को पूरी तरह डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। यदि उसकी साक्ष्य का कुछ भाग अभियोजन के मामले का समर्थन करता है और वह भाग सही पाया जाता है तो उस पर विश्वास किया जा सकता। तब हस्तगत प्रकरण में भी साक्षी सुंदरलाल एवं सैजीलाल दोनों ने घटना के बारे में जो सूचना और जानकारी वन अधिकारियों को दी और उस पर से आरोपीगण का घटना में संलिप्त होना पाया गया और आरोपीगण के द्वारा इन्हीं साक्षियों के समक्ष घटना के संबंध में दिया गया स्वैच्छिक कथन और घटना में प्रयुक्त

हथियार आग्नेय अस्त्र भरमार बंदूकें, बारूद उनके द्वारा छुपाये गये स्थान से निकालकर जप्त कराने के तथ्य भली–भांति साबित एवं प्रमाणित हुये हैं।

74. बचाव पक्ष का यह तर्क भी कतई मान्य किये जाने योग्य नहीं कि आरोपीगण के कब्जे से या उनके घर से कोई हथियार सामग्री जप्त बरामद नहीं हुई है। तब खुले स्थान से जप्त बरामद बंदूकें जो कि आर्टिकल **ए,बी,सी एवं डी** हैं, को आरोपीगण के विरूद्ध विचार में नहीं लिया जा सकता। मैं, इस तर्क से भी कतई सहमत नहीं हूं कारण कि जब अन्वेषण अधिकारी सहायक वन संरक्षक एवं उनकी टीम को साक्षियों के समक्ष आरोपीगण ने घटना में प्रयुक्त भरमार बंदूकों को जो कि उनके कब्जे में थी, जिनको उन्होंने घटना के बाद अलग–अलग स्थानों पर छुपाया था एवं एक बंदूक का बैरल और घोड़ा तोड़कर अलग स्थान पर छुपाया था, जिसकी जानकारी उनके द्वारा स्वेच्छया अनुसंधान टीम को दी गई। अनुसंधान टीम ने उन्हें साथ ले जाकर उनके बताये गये स्थान से जप्त एवं बरामद किया और इसके बाद इन बंदूकों को विधिवत् सीलबंद कर परीक्षण के लिये भेजा गया, परीक्षण रिपोर्ट से इस तथ्य की पुष्टि हुई है कि जप्त छर्रे एवं बारूद युक्त कपड़े की चिंदी एवं मृत बाघ के शरीर से प्राप्त दो छर्रे जप्त बंदूकों से ही चलाये गये थे। इन तथ्यों की पुष्टि में समर्थनकारी साक्ष्य अभिलेख पर मौजूद है। तब न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के रूप में यदि कोई तथ्य जो घटना से सुसंगत हैं, और उन तथ्यों को लेकर समर्थन एवं पुष्टिकारक साक्ष्य एकत्र होती है, तो उनका उपयोग दोषसिद्धि के लिये किया जा सकता है। इस संबंध में महत्वपूर्ण न्यायदृष्टांत अवलोकनीय हैं। **मोहम्मद इनायतउल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य ए.आई.आर.1976 एस.सी. 483** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–27 के संबंध में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है–While dealing with the ambit and scope of Section 27 of the Evidence Act, the Court held that:-

> "Althourgh the interpretation and scope of Section 27 has been the subject of several authoritative pronouncements, its application to concrete cases is not always free from difficulty. It will therefore be worthwhile at the outset, to have a short and swift glance at the section and be reminded of its requirements. The section says:
>
> "27. How much of information received from accused may be proved.---Provided that, when any fact is deposed to as discovered in consequence of information received from a person accused of any offence, in the custody of a police officer, so much of such information, whether it amounts to a confession or not, as related distinctly to the fact thereby discovered may be proved."

75. बचाव पक्ष का यह भी तर्क है, कि वन अधिकारियों/अनुसंधान अधिकारियों ने साक्षी सुंदरलाल, सैजीलाल, झनक, दसरू एवं आरोपीगण को धमकाकर या मारपीट कर उनसे कथनों पर अंगुष्ठ चिन्ह् एवं हस्ताक्षर करवाये हैं, जबकि साक्षियों ने और आरोपीगण ने कोई कथन वनाधिकारियों को नहीं दिये। वन अधिकारियों ने वास्तविक अपराधियों का पता न लगने की वजह से इन आरोपीगण को जो कि घटना स्थल के पास लगे ग्राम कुम्हारटेक के अशिक्षित आदिवासी मजदूर वर्ग के हैं, को झूंठा फंसाया है। मैं बचाव पक्ष के इस तर्क से कतई सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अभिलेख पर बचाव पक्ष की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य या प्रमाण खंडन में प्रस्तुत नहीं किये गये है, कि वनाधिकारियों ने या उनकी टीम ने किसी भी साक्षी या सूचनादाता अथवा अनुसंधान के दौरान ज्ञात अपराधियों के साथ किसी भी तरह की मारपीट, प्रताड़ना, धमकी या उत्प्रेरणा, या दबाव, भय कारित किया। साक्षियों के कथनों में भी ऐसे कोई तथ्य नहीं आये हैं, जहां तक की बचाव पक्ष ने भी प्रतिपरीक्षण में इन साक्षियों को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया है, कि उनके साथ किसी प्रकार की जबरदस्ती या दबाव, या धमकी, या मारपीट की गई। यदि उक्त साक्षियों एवं आरोपियों के साथ किसी प्रकार की मारपीट, या उनसे जबरदस्ती हस्ताक्षर कराये होते तो तत्समय उनके द्वारा पुलिस को या वरिष्ठ अधिकारियों को या न्यायालय को शिकायत की जाती, लेकिन अभिलेख पर ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं। तब जबकि अनुसंधान टीम में वरिष्ठ वनाधिकारी एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारी विवेचना में अलग–अलग स्तर पर संयुक्त रूप से जांच पड़ताल कर रहे हैं, तब उनकी विश्वसनीयता पर अकारण संदेह नहीं किया जा सकता। इन वनाधिकारी एवं अनुसंधानअधिकारीगण में से किसी का भी साक्षियों से या आरोपियों से पूर्व से किसी प्रकार का परिचय होने या उनसे बुराई होने का तथ्य भी अभिलेख पर नहीं है। तब फिर वन अधिकारियों द्वारा साक्षियों एवं आरोपियों पर किसी प्रकार का अनुचित दबाव या जबरदस्ती, उत्प्रेरणा, धमकी, या मारपीट किये जाने का तर्क आधारहीन है। इस संबंध महत्वपूर्ण न्यायदृष्टांत अवलोकनीय है–

1– In the case of Matia Palai and another Vs State of Orissa Criminal Revision N.342/1998 (H.C.Orissa) The hon'ble Orissa H.C. Observed that-Forest officer though invested with certain powers of police officers are not the police officers, as such statement made before them is not hit by sec.25 of the Indian Evidence Act.

2- Forest Range officers Vs aboobucker & another, Cri.L.J.1989 Page 2038 criminal appeal no.317/1988 The case of Aboobucker and another criminal appeal no. 317/1988 Forest Range Officer in the case of E.C. Richard Vs Forest Range officers to mettupalayam

(Hon'ble Madras H.C.) has taken same view, The pro position of law Cr. Revision No. 100/1957 laid down in the aforersaid authorities is that confession statement made before the forest officers,is admissible in evidence unless the accessed successfully taker the advantage of Sec. 24 of the Indian evidence Act.

3- Sansarchand Vs. State or Rajasthan (2010) 10 Scc Page No.604 Pera 33-Hon'ble Apex Court has held that there is no absolute rule that an extra Judicial confession can never be the basis of a conviction, althouth oridinarily an extra Judicial confession should be corborreted by some other materials.उक्त न्यायदृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में यह पाया जाता है, कि वनाधिकारियों के द्वारा की गई पूछताछ और उनके समक्ष की गई संस्वीकृतियों पर धारा–24 एवं 25 साक्ष्य विधान के प्रावधान आकर्षित नहीं होते। इसी के साथ विधि में ऐसा कोई स्थापित नियम नहीं है, कि ''न्यायिकेत्तर संस्वीकृति'' किसी भी दशा में दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकती। बावजूद इसके ''न्यायिकेत्तर संस्वीकृति'' का समर्थन अन्य सुसंगत तथ्यों एवं सामग्री से होता है, तो वह साक्ष्य में ग्राह्य योग्य है।

76. हस्तगत मामले में साक्षी सुंदर परि.सा.08, सैजीलाल परि.सा.10, गणराज परि.सा.09 के कथनों से एवं अनुसंधान अधिकारी वनपाल गजानंद कोड़ापे परि.सा.क्र.01, सहायक वन संरक्षक संदेश माहेश्वरी परि.सा.क्र.02, एन.एस.चौहान उप वन क्षेत्रपाल क्षेत्रीय स्टाईक फोर्स परि.सा.क्र 03, वन रक्षक दुर्गेश कुशराम परि.सा.11, सुदेश महीवाल उप वनमंडलाधिकारी सारणी परि.सा.क्र.12, वन रक्षक अभिषेक उपाध्याय परि.सा.क्र.13 ने अपने कथनों से अभियोजन की कहानी और कार्यवाही का पूर्ण समर्थन किया है। तब इन साक्षियों के कथनों पर भी अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं। तब जबकि यह तथ्य भंली भांति साबित एवं प्रमाणित है, कि आरोपीगण के एकांतिक कब्जे से और उनके द्वारा दी गई जानकारी पर से प्रयुक्त भरमार बंदूकें और बारूद तथा छर्रे तथा फाटखे के खोके जप्त/बरामद किये गये हैं। इन सभी आर्टिकलों का परीक्षण वैज्ञानिक प्रयोगशाला से कराया गया है। परीक्षण रिपोर्टों से भी यह तथ्य पूर्णतः प्रमाणित है, जिन आग्नेय अस्त्र आर्टिकल **ए,बी एवं सी** को जप्त किया गया है। उन्हीं बंदूकों से दागी गई गोली/छर्रे की संपुष्टि विशेषज्ञ की साक्ष्य से एवं दी गई रिपोर्ट से भी भली–भांति साबित एवं प्रमाणित है।तब तत्प्रतिकूल साबित किये बिना यह उपधारणा धारा 57 के तहत आरोपीगण के विरूद्ध की जावेगी। कारण कि, आरोपीगण का घटना से ठीक पूर्व का आचरण और पश्चात् का आचरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–3 के अंतर्गत तथ्यों को लेकर घटना से संसुगत है, क्योंकि घटना के तत्काल बाद आरोपी बस्तीराम और आरोपी गुलाब को ग्राम कुम्हारटेक में बंदूकों सहित देखा

जाना और फिर घटना की पतासाजी के दौरान उनका अचानक ग्राम कुम्हारटेक छोड़कर महाराष्ट्र राज्य के ग्राम परतवाड़ा भाग जाना और फिर वहॉ से पकड़ा जाना और फिर उनसे पूछताछ में घटना के बारे में उनके द्वारा साक्षियों के समक्ष दी गई जानकारी पर से घटना में प्रयुक्त हथियार जप्त बरामद होना यह दर्शाता है, कि उक्त दोनों आरोपीगण ने अन्य सहयोगी आरोपीगण के साथ सुसंगत घटना दिनांक को संरक्षित वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक 453 बीट राठीपुर बैतूल में एकत्र होकर नर बाघ का ''शिकार'' किया। उक्त उपधारणा वन संरक्षण अधिनियम की धारा–57 के तहत आरोपीगण के विरूद्ध प्रबल रूप से बनती है। इसके विपरीत उक्त उपधारणा को आरोपीगण की ओर से खंडित नहीं किया गया है। तब अभियोजन का मामला सिद्ध होना पाया जाता है।

77. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण का तर्क है, कि साक्षी गजानंद कोड़ापे परि.सा.01, संदेह माहेश्वरी परि.सा.02, एन.एस.चौहान परि.सा.03, दुर्गेश कुशराम परि.सा.11, सुदेश महीवाल परि.सा.12, अभिषेक उपाध्याय परि.सा.13 यह सभी वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीगण है, इनका हित अभियोजन के मामले को साबित करने में है। इसलिये, इन साक्षियों की साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मैं, बचाव पक्ष के इस तर्क से कतई सहमत नहीं हूॅ कारण कि उक्त साक्षियों के कथनों का सूक्ष्मता से परीक्षण करने पर यह पाया जाता है,कि उनके कथनों में तथ्यों को लेकर एवं कार्यवाही को लेकर कहीं कोई विरोधाभास या ''विसगंति'' या ''कार्यलोप'' उत्पन्न नहीं हुआ है। इन सभी साक्षियों ने घटनाक्रम के संबंध में जो भी साक्ष्य संकलित की है, उसको पुष्ट एवं प्रमाणित किया है। यद्यपि, यह स्वीकृत तथ्य है, कि यह सभी साक्षी वनविभाग में सेवारत अधिकारी/कर्मचारीगण हैं, लेकिन इन साक्षियों ने घटना के तथ्यों को एवं संकलित साक्ष्य को लेकर पूर्णतः स्वाभाविक कथन किया। तब इन साक्षियों की साक्ष्य पर अकारण अविश्वास नहीं किया जा सकता। जब तक कि कोई ठोस आधारभूत साक्ष्य या प्रमाण अभिलेख पर मौजूद न हो, कि इन सभी साक्षियों का समान रूप से हित आरोपीगण को झूठा संलिप्त करने में है। तब तक इन साक्षियों की कर्तव्य निष्ठा पर संदेह नहीं किया जा सकता। इस संबंध में महत्वपूर्ण न्यायदृष्टांत विशेष रूप से अवलोकनीय हैंः–

01 **<u>करम जीत सिंह वि0 स्टेट देहली एडमिनिशट्रेशन, (2003) 5 एस0सी0सी0 297</u>** विशेष रूप से अवलोकनीय है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मार्गदर्शन किया है, कि पुलिस अधिकारी/विवेचक की साक्ष्य को भी अन्य साक्षीगण की साक्ष्य की तरह विचार में लेना चाहिए विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है, कि अन्य साक्षीगण की पुष्टि के अभाव में पुलिस अधिकारी/विवेचक की साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है, यह उपधारणा पुलिस अधिकारी के पक्ष में भी लेना चाहिए अच्छे आधारों के बिना पुलिस अधिकारी/ विवेचक की साक्ष्य पर अविश्वास करना या संदेह करना उचित नहीं है।

02. **<u>बाबूलाल विरूद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 2004(2) जे0एल0जे0 425</u>** में

माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय ने भी यह प्रतिपादित किया है, कि पुलिस के गवाहों की साक्ष्य को यांत्रिक तरीके से खारिज करना अच्छी न्यायिक परम्परा नहीं है। विवेचक/पुलिस की साक्ष्य को भी सामान्य साक्ष्य की तरह छानबीन करके विचार में लिया जाना चाहिए।

78. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण का एक तर्क यह भी है, कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा संकलित की गयी साक्ष्य का उपयोग तभी किया जा सकता है, जब वह अभियुक्तगण की उपस्थिति में ली गयी हो। मैं, बचाव पक्ष के इस तर्क से पूर्णतः सहमत हूं। वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम,1972 की धारा 50 की उपधारा 8 के अनुसार साक्ष्य ग्रहण करना और अभिलिखित कराना और इसका उपयोग उप धारा 9 के अनुसार किया जाना प्रावधानित है। तब अभिलेख पर आयी साक्ष्य का उपयोग विधिक प्रावधान अनुसार ही किया जा रहा है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण की उपस्थिति में ही अनुसंधान अधिकारी ने संपूर्ण कार्यवाही की है। कार्यवाही के दौरान जो भी पंचसाक्षी मौजूद रहे, उनकी उपस्थिति में ही अनुसंधान अधिकारी एवं वन अधिकारियों ने विधि अनुसार कार्यवाही की है, कहीं कोई कार्यलोप या विसंगति या विरोधाभास उत्पन्न नहीं हुआ है। तब बचाव पक्ष का यह तर्क भी मान्य किये जाने योग्य नहीं कि अनुसंधान अधिकारी ने साक्षियों की साक्ष्य अभियुक्तगण की उपस्थिति में लेखबद्ध नहीं की।

79. अंत में बचाव पक्ष ने इस तर्क पुनः जोर दिया है, कि संपूर्ण प्रकरण मात्र ''परिस्थितिजन्य साक्ष्य'' पर आधारित है। अभियोजन/परिवादी पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी आरोपीगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित नहीं कर सका है, क्योंकि परिस्थितिजन्य सबूत पुष्ट एवं प्रमाणित नहीं हैं। जो सबूत आरोपीगण के विरूद्ध जुटाये गये हैं वह संदेहास्पद हैं। तब परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ियॉ टूट जाती हैं। तब ऐसी दशा में संदेह के आधार पर आरोपीगण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

80. बचाव पक्ष के उक्त तर्क पर गंभीरता से विचार किया गया। मैं, बचाव पक्ष के इस तर्क से भी कतई सहमत नहीं हूॅ, क्योंकि अभिलेख पर परिस्थितिजन्य साक्ष्य से यह तथ्य हर युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित एवं प्रमाणित है, कि सुसंगत घटना दिनांक को संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 453 बीट राठीपुर में उत्तर वन परिक्षेत्र बैतूल में स्थित जटाशंकर नाला जिस बूचाआम से भी जाना जाता है, में आरोपी– दीपचन्द्र उर्फ छोटू, सुभाष, बस्तीराम, गुड्डू उर्फ सुखचन्द्र एवं गुलाबसिंह ने प्रतिबंधित संरक्षित वन क्षेत्र में अवैध रूप से घुसकर नाले के दोनों ओर किनारों पर मचान बनाकर उस पर भरमार बंदूक रखकर रात में जब वन्य प्राणी बाघ/शेर नाले में पानी पीने आया तब भरमार बंदूक से शिकार करने की नीयत से आक्रमण किया, जिससे बाघ को बंदूक की गोली के छर्रे लगे और वह घायल होकर तड़पा और दहाड़ा तब आरोपीगण डर कर, जंगल में ही रात भर छुपे रहे और फिर जब सुबह गॉव की ओर लौटे तो उन्हें साक्षी सुंदरलाल और सैजीराम मिले, जिनसे उनकी बातचीत हुई। साक्षी सुंदर एवं आरोपी सुभाष, साक्षी गणराज से बातचीत हुई। इसके बाद जब अनुसंधान प्रारंभ हुआ तो आरोपीगण ने स्वेच्छया घटना के तथ्यों को लेकर जो जानकारी वन

अधिकारियों को दी और जानकारी पर से घटना में प्रयुक्त भरमार बंदूकें आरोपीगण के द्वारा जहां उन्होंने, बंदूक को छुपाया था वहां ले जाकर जप्त कराया। जप्त बंदूकों का वैज्ञानिक परीक्षण भी इस तथ्य की तश्दीक करता है कि इन्हीं बंदूकों से जप्तशुदा छर्रे युक्त गोलियॉ चलायी गयीं थीं जो मृत बाघ के पी.एम. में उसके शरीर से निकली थीं। अनुसंधान अधिकारी ने बाघ के पी.एम. की वीडियोग्राफी एवं बाघ के शरीर पर आई हुई चोटों के फोटोग्राम डिजिटल कैमरे से लिये हैं, जो साक्ष्य में प्रस्तुत हुये हैं, जिनका साक्षी अभिषेक उपाध्याय ने अपने कथन से पुष्ट एवं प्रमाणित किया है। इस साक्षी ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को पुष्ट करने के लिये दिये गये धारा–65 बी साक्ष्य विधान के प्रमाण पत्र को अपने कथन से पुष्ट एवं प्रमाणित किया है और बताया है कि उसने स्वयं के डिजिटल कैमरे से फोटोग्राफ निकाले थे, जिनकी सी.डी. और पैन ड्राईव तैयार की है। तब अनुसंधान अधिकारी संदेश माहेश्वरी प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय टाईगर स्टाईक फोर्स ने संपूर्ण कार्यवाही एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य संकलित कर अपने कथन से पुष्ट एवं प्रमाण्ति किया है, जिस पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। तब बचाव पक्ष के सभी तर्क वेबुनियाद एवं आधारहीन होने से मान्य किये जाने योग्य नहीं है। बल्कि, हरयुक्ति–युक्त संदेह से परे अभियोजन का मामला आरोपीगण के विरूद्ध साबित एवं प्रमाणित पाया जाता है।

81. उपरोक्त साक्ष्य विश्लेषण पर से यह पाया जाता है, कि अभियोजन आरोपीगण के विरूद्ध ये तथ्य हर युक्तियुक्त संदेह से परे साबित एवं प्रमाणित करने मे सफल हुआ है, कि सुसंगत घटना दिनांक समय स्थान पर आरोपीगण ने ही नरबाघ जो कि प्रथम अनुसूची का वन्यप्राणी है, का अवैध रूप से शिकार प्रतिबंधित क्षेत्र संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 453 बीट राठीपुर बैतूल के अंतर्गत स्थान जटाशंकर नाला जिसे बुचाआम के नाम से जाना जाता है, में नर बाघ को बंदूकों से घायल कर उसका शिकार किया, जिसके परिणामस्वरूप घायल बाघ लगभग 11 दिन तक जिंदा रहकर वन बिहार भोपाल में इलाज के दौरान मरा। तब सभी आरोपी **दीपचन्द्र उर्फ छोटू, सुभाष, बस्तीराम, गुड्डू उर्फ सुखचन्द्र एवं गुलाबसिंह** को आरोप धारा–9/51 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का उल्लंघन करने अर्थात् ''शिकार के प्रतिषेध'' के अपराध करने के लिये दोषी ठहराता हूॅ।

82. अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपीगण को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित नहीं पाता हूॅ।

83. दंड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए प्रकरण कुछ समय के लिये स्थगित रखा जाता है।

सही/–
(राजेश कुमार अग्रवाल सी.)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
होशंगाबाद

84. सजा के बिंदु पर आरोपीगण और उनके विद्वान अधिवक्ता श्री आर.एस. चौहान को सुना गया आरोपीगण की ओर से प्रार्थना की जा रही है, कि यह उनका प्रथम अपराध है। अपराध की प्रकृति को नहीं समझते है, गरीब एवं निर्धन होकर

अशिक्षित है, और मजदूर है, वर्ष 2017 से निरंतर विचारण का सामना करते चले आ रहे है। कम से कम दंड से दंडित किये जाने की प्रार्थना की जा रही है।

85. अभिलेख का अवलोकन किया गया। निश्चित रूप से आरोपीगण वर्ष 2017 से विचारण का सामना कर रहे है और निरंतर पेशी तारीख पर उपस्थित हो रहे हैं। लेकिन आरोपीगण ने प्रतिबंधित संरक्षित वन क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश कर, वन्य जीव नर बाघ जो कि प्रथम अनुसूची का वन्य प्राणी है, का अवैध रूप से शिकार निर्मम एवं बेहरमी से जब वह नाले में पानी पी रहा था, तब उस पर भरमार बंदूकों से आक्रमण कर उसे घायल किया जिससे उसकी स्पाईनल कार्ड टूटी और उसका पिछला भाग लकवाग्रस्त हुआ, और फिर वह घिसटकर नाले में पानी में जाकर करीब दो दिन तक बैठा भूखा–प्यासा तड़पता रहा, इसके बाद उसको रेसक्यू कर बचाने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन उसके मेरूदंड में फंसी गोली/छर्रे ने जो कि बारूदयुक्त था, कि चोट की वजह से उसकी लगभग 11 दिन तड़पने के बाद मृत्यु हुई। तब आरोपीगण का उक्त कृत्य जघन्य प्रकृति का है। एक मूक जीव को भी प्रकृति में जीवन जीने का पूरा अधिकार प्राप्त है। तब जबकि, वन्यप्राणियों का क्षेत्र सीमित होता जा रहा है, उस संरक्षित क्षेत्र में भी उनका जीवन सुरक्षित नहीं होने को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय भी चिंतित है। इस संबंध में महत्वपूर्ण न्यायदृष्टांत **संसारचन्द्र विरूद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान क्रिमिनल अपील नं.2024/2010 उच्चतम न्यायालय** विशेष रूप से अवलोकनीय है। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिये एवं देश में पर्यावरण संतुलन बनाये रखने को लेकर चिंता प्रकट की है। तब मैं, इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि इस प्रकार के गंभीर अपराधों में अपराधी के प्रति किसी भी प्रकार की दया एवं सहानुभूति को कतई स्थान नहीं मिलना चाहिये।

86. आरोपी दीपचन्द्र उर्फ छोटू, सुभाष, बस्तीराम, गुड्डू उर्फ सुखचन्द्र एवं गुलाबसिंह प्रत्येक को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 एवं संशोधित सन् 2006, के अधिनियम 39 की धारा–3 द्वारा अंतस्थापित धारा–51 (1ग) के सिद्ध दोष अपराध में 07–07 वर्ष (सात–सात वर्ष) के सश्रम कारावास और 1,00,000/– 1,00,000/– (एक–एक लाख)रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने की दशा मे प्रत्येक को 6–6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

87. अभियुक्त दीपचन्द्र एवं सुभाष के जमानत बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। उन्हें अभिरक्षा में लिया जावे।

88. अभियुक्त बस्तीराम, गुड्डू उर्फ सुखचन्द्र एवं गुलाब सिंह पूर्व से निरोध में है।

89. प्रकरण में जप्त आर्टिकल **ए,बी,सी** भरमार बंदूकें अपील अवधि पश्चात् जिला दंडाधिकारी की विधि अनुसार निराकरण हेतु भेजी जावे। शेष आर्टिकल मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किये जावे। अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

90. अभियुक्तगण का सजा वारंट बनाया जाकर सजा भुगताये जाने हेतु

केन्द्रीय जेल होशंगाबाद भेजा जावे।

91. द0प्र0सं0 की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर सजा वारंट के साथ संलग्न किया जावे। आरोपी दीपचन्द्र दिनांक 14.04.2017 से 17.07.2017 कुल 95 दिवस, आरोपी सुभाष दिनांक 14.04.2017 से दिनांक 17.07.2017 तक कुल 95 दिवस, आरोपी सुखचन्द्र दिनांक 14.04.2017 से दिनांक 12.05.2018 तक कुल 394 दिवस, आरोपी बस्तीराम दिनांक 21.04.2017 से दिनांक 12.05.2018 तक कुल 387 दिवस एवं आरोपी गुलाब दिनांक 21.04.2017 से दिनांक 12.05.2018 तक कुल 387 दिवस तक अभिरक्षा में में रहे हैं।

92. आरोपीगण को दिये गये कारावास की सजा उनके द्वारा निरोध में व्यतीत की गई अवधि में समायोजित की जावे।

93. आरोपीगण को निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित
कर सुनाया गया
सही/–
राजेश कुमार अग्रवाल सी.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
होशंगाबाद

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया
सही/–
राजेश कुमार अग्रवाल सी.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
होशंगाबाद